out the country. A large number of people are involved in it. I think all my colleagues there will support me in this matter that the Government must make a statement here, the Prime Minister must come out with a statement that they will be given the concessions which have been denied to them and a Central law will be enacted for the purpose. If they are Hindus for the purpose of certain laws, it is highly inequitable and it does not befit any Government which speaks of democracy and equality that such an anomaly should remain in our constitutional provisions and the Central laws. I would therefore request the Prime Minister and the Government that they should not allow this situation to continue and they should announce that the Buddhists will be given all concessions which they not only deserve but are also entitled to under the law.

श्री देवराव पाटील (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति जी, श्री धावे साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि बौद्धों को सुविधाएं देने की जो मांगें रिपब्लिकन नेताओं ने सरकार के सामने रखी हैं उनकी तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाये।

श्री उपसभापति : अब सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at twenty seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Shyam Lal Yadav)** in the Chair.

Motion re. Twenty-Sixth Annual Report of the Union Public Service Commission for the period 1st April, 1975 to 31st March, 1976

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move the following Motion:—

"That the Twenty-sixth Annual Report of the Union Public Service Commission for the period 1st April, 1975 to 31st March, 1976, together with Government's Memorandum on the cases of non-acceptance of the Commission's advice mentioned in report, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 21st June, 1977, be taken into consideration."

Sir, while moving the Resolution I have to make a few submissions in support of this motion. As the hon'ble Members are aware our Constitution provides that the Annual Reports of the Union Public Service Commission should be laid before each House of Parliament. Therefore, in accordance with the provision the report was laid before the two Houses on the date I have just mentioned. As a matter of fact, article 323(1) of our Constitution does not provide for any Constitutional obligation to discuss the Report on the floor of the House, but for the convenience of the Members the Government have come up with this Motion. Government have always given due consideration and importance to the recommendations of the Commission in view of the status and functions assigned to it under the Constitution and in the larger interest of the administration. It is, therefore, only in rare cases and with the greatest reluctance, that the Commission's advice is not accepted. Cases of non-acceptance of the Commission's advice have been very few and far between and they constitute a negligible portion of the total number of cases referred to that august body each year. The number of cases of non-acceptance of the Commission's advice for the period 1975-76, as mentioned in the Commission's Report, is only four; and, of these, one is not really a case of non-accep-

[Shri S. D. Patil]

tance by the Central Government but by a State Government; so there are only three cases which come under our purview.

Government's endeavour has always been to give representation on the Commission to as large a number of disciplines and professions as would ensure that the Commission is able to handle effectively the various duties assigned to it under the Constitution. Persons eminent in the field of administration, in the economic and academic fields and science and technology are selected for appointment to the Commission, subject to the Constitutional provision as provided in article 316(1) proviso. As nearly as may be, one half of the Members should be those who have held office under the Government of India or the Government of a State for at least 10 years. A number of non-officials who have been eminent in academic fields have been appointed to this Commission from time to time, and the present Chairman is himself an academician drawn from a university. I wish to draw your attention to the intake of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Commission has been taking every care to see that the reserve quota is fully utilised and the measure of success achieved in the case of non-technical Services is heartening. The Report makes references to the instances in which consultation with the Commission was delayed or irregular appointments were made. There is no doubt that such cases should be viewed with concern. Though these instances are few in number compared to the large number of appointments made under the Government, it will be the Government's endeavour to ensure that even these are eliminated in future.

Members will be happy to note that the processes of recruitment have been considerably expedited and further efforts for streamlining the procedure and methods are under way. The declaration of the existing recruitment policy and selection methods had been engaging the attention of the Government and the Commission for some time and a Committee was set up to look into the various aspects of the problem. The recommendations of this Committee, which was presided over by Dr. D. S. Kothari, on the IAS etc. examination, are at present under consideration and examination and a decision expected to be taken shortly. Complaints have often been made that only candidates with an urban background have better chances of success in the higher examinations conducted by the Union Public Service Commission. However, Members will be happy to note that the Commission have reported a better performance of candidates from the rural areas in recent years. In the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service examination, the percentage of successful candidates from the rural areas has gone up to 30.30 in the 1975 examination. Similarly, the percentage of successful candidates from the lower income groups has been steadily rising during the last few years and in the 1975 examination it stood at 36.97. There is another matter about which I would like to say a few words since it is of considerable interest to the general public, and, in fact, there were one or two questions on the subject which were answered in this House and also in the other House. This is about the use of Hindi and other Indian languages in competitive examinations. I should like to assure the House that the Government are fully alive to this issue. A beginning has already been made by permitting the use of Hindi and regional languages in some of the compulsory papers in I.A.S. and other examinations, and important decisions in this regard will be taken as soon as the examination of the Kothari Committee report is completed. Hon. Members will observe from the report that one of the steps taken by way of examination reform is the switch-over to the objective and short answer types of questions

in general knowledge for a number of examinations. This type of tests will not only simplify evaluation but will also enable a better assessment of the candidates' abilities. This, we feel, is a development on the right lines. Another important development is the one relating to the data bank of specialists in the field of science, technology etc. working not only under the Government but also in the private sector, universities, research institutions etc. Some work has already been done in this regard, and when it is completed, it will be possible to identify quickly persons suitable for various posts. I look forward to a useful and constructive discussion on the Annual Report and to the views of the House which would be welcome to both the Union Public Service Commission and the Govt.

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, नौकरी एक गन्दा शब्द है लेकिन आफिसरी या आफिसर उससे भी बुरा शब्द है। शायद सेवक एक सही शब्द है। लेकिन केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने पिछले तमाम वर्षों में सेवक नहीं पैदा किये बल्कि या तो आफिसर पैदा किये हैं या नौकर पैदा किये हैं। इसके लिए पूरी तरह लोक सेवा आयोग को दोषी ठहराना शायद गलत होगा क्योंकि सरकार के पास शुरू से ही प्रशासन की एक स्पष्ट कल्पना नहीं रही। जो भी प्रशासन हमने उत्तराधिकारी के रूप में लिया, वह एक विदेशी हुकूमत से लिया और यह मान लिया कि हिन्दुस्तान चलाने के लिये या तो नौकरों की जरूरत है या आफिसरों की। खैर, 30 साल तक तो कांग्रेस का शासन रहा अब जनता पार्टी का शासन आया है और मैं उम्मीद करता था कि मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में जो कि यू० पी० एस० सी० से सम्बन्धित ह कुछ थोड़ा सा संकेत इस बात का भी देंगे कि वह यू० पी० एस० सी० से किस तरह की मदद की उम्मीद करते है कि भारतीय सेवाओं में सेवक आयें नौकर या आफिसर न आयें। मैं आशा करता हूं कि वह अपने उत्तर में इस बात की ओर कुछ संकेत करेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, तथ्य तो यह है और यह एक बड़ा दुखद तथ्य है कि खुद यू० पी० एस० सी० एक पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित दिखाई पड़ती है, न केवल अपने सोचने के तरीके में बल्कि अपने काम करने के तरीके में भी। इसमें दोष उसका नहीं है, क्योंकि यू० पी० एस० सी० भी आखिरकार इसी व्यवस्था की देन है और यह व्यवस्था अभी बदली नहीं है। यू० पी० एस० सी० का गठन जिन लोगों ने किया या आज जो लोग यू० पी० एस० सी० में है, ऊपर से लेकर नीचे तक, वे इसी अफसरशाही के अंग है और इसका नतीजा है कि आज चाहे वह केन्द्रीय सचिवालय की नौकरी हो चाहे आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० की परीक्षाएं हों उनमें ज्यादातर लोग वही आगे आते हैं जो कि भारतीय दिमाग की उपज नहीं कहे जा सकते। अगर हमारे प्रशासन का काम का तरीका नही बदला, अगर वह भारत और भारतीय जिन्दगी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कार्य नहीं करते तो इसका कारण ही यह है कि यू० पी० एस० सी० के चयन का या चुनाव का ढंग ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को ज्यादा अवसर मिलता है। मसलन, पब्लिक स्कूल्स को लिया जा सकता है, आप पाएंगे—मैंने आंकड़े देखे हैं—इसमें भी और पहले की रिपोर्टों में भी—कि पब्लिक स्कूल से आने वाले लड़कों को भी आने का मौका है और जो पब्लिक स्कूलों के नहीं हैं उन्हें भी अवसर प्राप्त है, यह सही है। लेकिन जो पब्लिक स्कूल से आने वाले लड़के हैं वे ही उन परीक्षाओं में ज्यादा कामयाब होते हैं और जो पब्लिक स्कूलों से नहीं आए है उन्हें उतने अवसर प्राप्त नहीं होते आखिर इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण यह है कि जिस तरह के प्रश्न-पत्र होते हैं या जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनकी ज्यादा जानकारी पब्लिक स्कूल से आए लोगों को होती है और गैर पब्लिक स्कूल से आए हुए लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

नहीं होती है। यानी हिन्दुस्तान के गैर पब्लिक स्कूलों से पढ़े हुए युवक या युवतियों की जानकारी और आवश्यकताओं पर आधारित न होकर वह यू० पी० एस० सी० के प्रश्न पब्लिक स्कूल से आए हुए युवक और युवतियों की जानकारी और आवश्यकता पर आधारित होते ह । इस रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कुछ इसमें तबदीली की जाएगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से जो आई० क्यू० या साइकालोजिकल टेस्ट यू० पी० एस० सी० लेने की तरकीब सोच रहा है वह पश्चिम में भी पिट चुकी है। जो पश्चिम के विज्ञान और आधुनिकतम पद्धतियों से अवगत हैं वे जानते हैं कि आई० क्यू० टेस्ट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ये चीजें आज से चालीस-पचास साल पहले जब किसी के दिल और दिमाग की गहराइयों में उतना नहीं उतर सकती थीं जब प्रतिभा की तलाश के साधन सीमित थे, तब यह बहुत महत्व रखता था। लेकिन आज यह कहना कि हम एक स्कोर टेस्ट रखेंगे जैसा कि इसमें संकेत किया गया है, जिस तरह से पश्चिम में स्कोर-टेस्ट रखते हैं और उनके आधार पर, इलेक्ट्रानिक्स के आधार पर हम चाहते हैं हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उधार ली हुई पद्धति है और हिन्दुस्तान में कामयाब नहीं होगी क्योंकि हिन्दुस्तान की पद्धति अलग है। यहां एक दलित वर्ग या गरीब वर्ग के लड़के की परीक्षा स्कोर टेस्ट के जरिए नहीं की जा सकती है। इस तरह के साइकालाजी या सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जरिए उसकी प्रतिभा की परीक्षा नही की जा सकती जिस तरह की पश्चिम में की जा सकती है। इस तरह से इस खतरे को ध्यान में रखते हुए जिसका संकेत इसमें किया गया है कि इलेक्ट्रोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर वे उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो यू०पी० एस०सी० जो बड़े घरों के लड़कों को भरती करने का साधन है वह एक और भी साधन उसका बन जाएगा। यह सही है, जिसका रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निम्न और मध्य वर्ग के लड़कों को, युवकों को भी इसमें अवसर दिया गया है। लेकिन ये कितने लोग हैं जिनको यह अवसर प्रदान किया गया है? बहुत से लोग हैं जिनको अवसर प्राप्त नहीं होता। यह सही है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि अवसर सीमित हैं। लेकिन उसमें भी अगर परसेन्टेज देखा जाए तो वह परसेन्टेज उतना ज्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होने का कोई कारण हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात आइ०ए०एस० और आई०एफ०एस० को छोड़ कर छोटी नौकरियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेक्रेटेरिएट और दूसरी जगहों में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वे स्टेनोग्राफर होते है या फिर असिस्टेंट होते हैं और जिंदगी भर नौकरी करते-करते बूढ़े हो जाते हैं और थक जाते हैं। यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके प्रमोशन के लिए यू०पी०एस०सी० ने अपनी तरफ से बराबर कोशिशें की हैं और बार-बार अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उनके प्रमोशन में किसी तरह से बाधा नहीं आनी चाहिए लेकिन इस रिपोर्ट पर हुई चर्चा का लाभ उठा कर मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे संबंधित विभाग से बात करें और पता करें कि क्यों एक स्टेनोग्राफर जिंदगी के आखरी वक्त तक एक स्टेनोग्राफर ही रह जाता है। या अंडर सेक्रेटरी होता है तो ऐसे वक्त पर कि जब उसकी तनख्वाह लगभग अंडर सेक्रेटरी के बराबर हो चुकी होती है? यह बडी दुखद बात है कि एक बड़े घर का लड़का जो आई०ए०एस० अफसर के रूप में डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी जिन्दगी शुरू करता है वह तो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बन कर अपनी नौकरी समाप्त करता है; लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो उतना ही प्रभावशाली तो नहीं; लेकिन प्रतिभाशाली जरूर है वह स्टेनोग्राफर बन कर अपनी

नौकरी शुरू करता है लेकिन उसके प्रमोशन के चांसिज इतने कम हैं कि वह अधिक से अधिक अडर सेक्रेटरी ही हो कर रह जाता है। इस बात पर भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए और आवश्यक हो तो इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह है एक्सपर्टस की बात। मुझे कहना पड़ता है कि यह एक बहुत बड़ा फ्राड है। मैं जानता हूं कि यू०पी०एस०सी० में और दूसरी जगहों में किस प्रकार के एक्सपर्टस या विशेषज्ञ बैठते हैं। कहने को वे एक्सपर्ट होते हैं लेकिन मैं ऐसे मामले जानता हूं कि--और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किन्हीं व्यक्तियों का, लेकिन मैं जानता हूं कि जहां एक्सपर्टस की शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और जानकारी से भी कम रही है। यह ठीक है कि यू०पी०एस०सी० उनका एक डाटा बना रही है, उनकी एक सूची बना रही है, लेकिन क्या गारंटी होगी कि यह सूची सही होगी और फिर इसके लिये भी यू०पी०एस०सी० को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए यू०पी०एस०सी० को कि उसकी इंटेग्रिटी ऊंची होनी चाहिए। अगर एक्सपर्टस ठीक नहीं हुए तो यू०पी०एस०सी० की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जायगी। (*Time bell rings*) अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ समय और दिया जाय क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

चौथी चीज, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं इस बात के लिये स्वीडन और अमरीका और दूसरे देशों का हवाला भी देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे पद होते हैं कि जिनके लिये आवेदन मांगना मेरे विचार में बिल्कुल अनुचित है। जैसे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कार्यो से सम्बंधित पद हैं। उनके लिये क्यों आवेदन मंगाये जायें। क्यों हम अपने वैज्ञानिकों को आफर नहीं दे सकते? क्यों हम उनको मजबूर करते हैं कि वे यू०पी०एस०सी० के सामने आयें? क्यों हम चाहते हैं कि एक साइंटिस्ट जो स्पेस टेक्नोलाजी में बहुत कुछ करके दिखाने वाला है और उसने बहुत कुछ करके दिखाया है, वह वहां आये? क्यों आप उनको इस प्रकार के इंटरव्यूज के लिये बुलाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वे उनके लिये आवेदन करें। बहुत से लोग ऐसे होते है कि जो आवेदन करना नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि हो सकता है कि उनका सेलेक्शन न हो। खुद इस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गयी है कि इन पदों पर उन लोगों का सेलेक्शन हुआ लेकिन नियुक्तियां कुछ और की हुई। तो खास तौर से जो साइंस और टेक्नोलाजी से संबंधित नौकरियां हैं, जो ऐसे पद है, उनको यू०पी०एस०सी० से बाहर रखा जाना चाहिए।

इस रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि 672 मामलों में यू०पी०एस०सी० ने नियुक्तियों की सूचना लोगों को दी; लेकिन सरकार ने उनकी नियुक्तियां करने में देरी की। यह देरी भी मेरे विचार में समाप्त होनी चाहिए। आप को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति बरसों तक इन्तजार करता है एक अवसर का। उसके बाद वह दरख्वास्त देता है, पोस्ट आफिस में जा कर दो रुपये का पोस्टल आर्डर खरीदता है, उसके तीन महीने के बाद उसका इंटरव्यू काल आता है और फिर इसका सेलेक्शन होने के बाद साल भर तक उसकी नियुक्ति रुकी रहती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है और मैं यू०पी०एस०सी० की रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत हूं कि यह देरी समाप्त होनी चाहिए क्योंकि अगर यह देरी होती रही तो उससे लोगों का मनोबल गिरता रहेगा।

271 मामलों में अभी भी नियुक्तियां नहीं हो सकीं। और यह बड़े अफसोस की

[श्री श्रीकान्त वर्मा]

बात है कि ये मामले रक्षा मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से और सूचना मंत्रालय से संबंधित है। फिर आप इस बात से भी सहमत होंगे कि यू०पी०एस०सी० को अपनी परीक्षा प्रणाली भी बदलनी चाहिए। मैं भी इस संसद का सदस्य होने के पहले दो एक बार यू०पी०एस०सी० में इंटरव्यू दे चुका हूं; जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से वहां परीक्षायें होती है। एक बार युनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद दुबारा युनिवर्सिटी के इम्तिहान में बैठना पड़ता है और यू०पी० एस०सी० के सवालों में या उनके प्रश्नों के ढांचे में और यूनिवर्सिटी के प्रश्नों के ढांचे में अन्तर लगभग नहीं के बराबर है। आखिरकार यू०पी०एस०सी० से हम यह उम्मीद नहीं करते कि एक शिक्षित व्यक्ति से वह वही सवाल करे जिसका जवाब युनिवर्सिटी में वह दे चुका है। उसका पर्सनेलिटी टैस्ट करना चाहिए, और दूसरी चीजों से उसका जीनियस ढूंढकर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी तक यू०पी०एस०सी० ऐसा नहीं कर सकी है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार कब तक हम यह कहते रहेंगे, कब तक शतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छिपाये रहेंगे यह कहकर कि शेडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनके अनेक कारण है और जैसा कि कहा गया है उन कारणों का पता लगाना चाहिए, उनकी छानबीन करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ के उम्मीदवार है, लेकिन उनको या तो सूचना नहीं पहुंचती है या और कोई कारण है जिनकी वजह से वे इन पदों में आवेदन नहीं करते हैं या वे इतने निराश हो चुके हैं कि इन आवेदनों का उनके सामने कोई अर्थ नहीं रह गया है। जब तक गरीब तबका नौकरियों में स्थान नहीं पाता, जब तक दलित वर्ग इन पदों को नही भरता है तब तक जनता सरकार, जो कि जनवादी सरकार होने का दावा करती है, वास्तविक अर्थो में जनवादी सरकार नहीं हो सकती है।

PROF. RAMLAL PARIKH (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to the honourable Minister of State in the Ministry of Home Affairs for giving us this opportunity of discussing the Twenty-sixth Report of the Union Public Service Commission. While I would say that this is a very good opportunity for discussing the Report that has been presented to us, I would also like to say, before I start giving my comments, that, first of all, it should be possible for the Union Public Service Commission and also for the Ministry of Home Affairs to bring the latest report to us. Now, Sir, this is the Report for the year 1975-76 which comes to us at a time when we are about to finish the year 1977-78. I do not know why such an unjustified delay is taking place. After all, the Government on its own has decided to apprise the House of the functioning of one of our very vital links in the administrative set-up and, therefore, it should do it in a manner that we get the latest report and we come to know of the latest situtation and not the situation that was there two years before. Nevertheless, Sir, the Report throws light on a number of important points and one thing over which I feel happy is that the Union Public Service Commission seems to be growing in its awareness of the needs of the rural areas, the needs of the low-income groups, and also of the fact that the existing procedures of recruitment are not in tune with the needs of our society as it is now. While saying this, Sir, I must also say that the Union Public Service Commission has been very slow in its thinking on these matters. This is a very important limb of our Central Government and it ought to move

rather more rapidly in the matters of revision of its recruitment policy, its examination norms, its testing methods, etc. But the general impression or the general projection of the UPSC is that it works more or less on the same model as prevailed several decades ago and there have not been many effective and significant changes although I must say that they have been attempting to bring about changes and they have been attempting to do so honestly and probably they have their own difficulties. But, putting that apart. Sir,

3 P.M

the important thing is that we want to move rather more rapidly. Now, this Report states that Dr. Kothari, an eminent educationist, a former Chairman of the University Grants Commission and Chairman of the Education Commission was appointed to review the procedures of recruitment. That report is lying with the Ministry—I do not know since when. I hope the Minister would tell us as to what is happening to this report. After all, these are some of the important policy measures which the Government has to decide, that should not take a long time. These are also questions of detailed structural adjustments. And to me it appears that this report should have been considered more rapidly and certain decisions should have been taken by now. This delay does not seem to be reasonable delay, especially in regard to major recommendation which the Kothari Committee has made for streamlining several examinations. There are several types of examinations—15 or 16 types of examinations—each one having its different approach and different methodology as well. For certain examinations like those for Engineering Service we can understand it. But, by and large, I think this multiplication of the types of examinations is probably creating an impediment to the students who want to enter these Services. The Kothari Committee recommendations, which have been summarised in this Report, I think, are very good, and the Government must now take an immediate decision which should be immediately implemented by the U.P.S.C.

5

The procedures of the Commission also need to be simplified. Some attempts have been made, but they are not up to the expected point.

First of all, I must say, that Commission's procedures are of a type which most of the common students do not understand. The Commission's advertisements are still in English language only. If the Commission *wants to draw and attract, and it* ought to draw and attract— and especially when there is now the Janata Government and the policy of the Janata Government is in favour of the common people—the common people from all sections, and particularly the common people of the rural areas, tribals, Scheduled Castes or the Lower Income Groups.

SHRI RANBIR SINGH (Haryana): Why not have reservations for the rural people?

PROF. RAMLAL PARIKH: It is very important that the advertisements of the Commission are not only published in English newspapers but are published in all newspapers in regional languages. The Commission should not be something like a myth to most of the people. It should not be away from the imagination of the common people. The first thing, therefore, I will stress, is that they must publish their notifications and advertisements in all the Scheduled languages of India. And this, Sir, is a vital question. The Minister was kind enough to tell us that the Government is already seized of this problem of introducing regional languages as media of examination. Well, this has been the long standing commitment of the Government. But it is not being implemented. And we are told that it is *not being implemented*

[Prof. Ramlal Parikh]

because the Union Public Service Commission feels that there are practical difficulties and they cannot implement it. I think this is a major policy decision which the Government has taken for years, and I must say to the hon. Minister that they must find members of the Union Public Service Commission who could implement it, because if the major policy has been welcomed by the Commission, welcomed by the educationists welcomed by the academicians and welcomed by all sections of the people, but if the Commission members say that they can not implement it, they do not deserve to be members of this Commission. This is a very important matter which must be decided soon, because this is going to determine the nature and character of our administration. Whether our administration will be people-oriented and whether our administration will move towards the common people and the weaker sections or not will be determined by the recruitment policies and by the media of examination of the U.P.S.C. I feel that it is high time that the Government must come forward with a forthright decision and must clearly tell the U.P.S.C. that it is no longer possible to delay this question of introducing the regional languages as the media of various examinations. All the languages listed in the Schedule of our Constitution must have the same place and the students must be permitted to appear in these examinations in their mother tongue. Only then you will be able to draw the students of the common people. While it is a matter of great pleasure that the intake of students from the rural areas and the lower income groups has increased, this process must be accelerated.

So far as the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned, here we need to make more efforts. I see from the report that in case of many posts we have not been able to fill up the quota reserved for tribal people. We should try to rectify it very soon.

Coming to the question of courses and the content of the courses, a reorientation of the Commission policy of testing is necessary. Do we want to test only information and select students who have acquired skills of cramming information from one source or the other? Do we want the students who have more means, the children of wealthier people, to take advantage of these examination? The emphasis of the Commission still is on more information. Perhaps they still believe that more information means more education. It is not that. It has now been established all over the world beyond doubt that information is not education and that more load or quantity of information is not education. We are not testing education. We are testing quantity of information. This is ridiculous at a time when such type of education has failed in our country and all over the World. Therefore, the content of the courses with have to be recast to meet the needs of the common people. There are many courses. I find that the course of British History is going on for years. I find that the course of European History is going on for years. But I do not find the course of Asian History as yet. So, whether the Commission is moving with the world or not is the question which, I think, the Commission should seriously consider. I am sure that the Commission is aware and alive and they are really and honestly attempting to be aware and alive to the changing needs. They must attempt to recast their courses and should not just copy the traditional, old and classical style of universities which have totally collapsed. That is what I want to tell them. They should not try to copy the system of higher education which has failed in our country. They should move beyond.

There is another major question about delinking of degrees from the jobs. There are rather two major questions on which the success of failure of the U.P.S.C. has to be judg-

ed. As I said, one is: how rapidly and speedily they can introduce the regional languages as the media of examinations? And secondly, how far they could delink the requirement of university degree from the various qualifications that are prescribed? I think they must make a very serious effort to reduce the university degree as a pre-requisite and make a large number of posts available to students who have completed the high school or higher secondary course, Sometimes I am surprised to find that even stenographers also, in some cases are required to be recruited from only university graduates. Unless you delink the university degrees, if not wholly but at least to a substantial extent, from the job requirement, the vicious circle of reforming the higher education will persist as the UPSC is casting great shadow on the universities, and somewhere a breakthrough has to be made. I would appeal to the hon. Minister that it is in their hands, to delink at least a large number of posts from this requirement.

Then, Sir, in this Report, there is a mention about the filling up of vacancies. My predecessor speaker also mentioned about it. I would say that it is a very alarming situation to find that vacancies for which the selections were made in 1973 have not been filled up even in 1977. In the Ministry of Communications, I find here the cases of even 1973, 1974 and 1975. It is a very frustrating thing for our young men. Our young boys and girls are bound to be frustrated if they were interviewed, if they were tested, if they were recommended for the posts and yet they had to wait for four or five years. The Government should actively think about this. And before going to the UPSC, they should think. Otherwise, after going to the UPSC, interviewing the candidates and declaring them successful and then saying that we do not fill up the posts is really a very, very frustrating thing for the young people. And we should save our young men from this sort of frustration. This kind of delay is not at all justified.

Lastly, Sir, and I know the time is very short, there is the question of exempted categories. Still there are a large number of posts being put under the exempted category. If we have a Public Service Commission, it has been rightly claimed that it should be of a judicial nature, that it must have the status of a High Court. It is all very good. And I would fully support that the Commission must have the status of a High Court. The Commission must have the status and power where everybody can have confidence in it and the Commission can inspire confidence in everybody. But, Sir, here I find that a large number of Ministries are thinking of increasing their exempted category. If this exempted category is kept to a very large extent, then, Sir, the Public Service Commission would be meaningless. Let us arrive at a decision in the Government that unless there are very extra-ordinary reasons, we should not allow many posts to be exempted from the purview of the Public Service Commission. Otherwise, that creates unnecessary bad blood in the workers, in the administration and in the young men. So, it would be not only desirable but helpful to the Government if the discretion of the Ministries and the Departments is limited to a minimum in the matter of appointments. I find in many cases the appointments were made for one year. If the posts are within the purview of the Public Service Commission, before one year, they have to be sent for the concurrence of the Public Service Commission. But this was not done in many cases, according to this Report, therefore, I feel that this is also an important matter which has to be looked into.

Then, Sir, the appointment of experts and specialists. This point has also been referred to earlier. I would say that it is high time the Government and the Commission looked into this. There are many posts for which people would not like to apply. If you want to appoint a good cultural man or a good scientist, the

[Prof. Ramlal Parikh]

Commission should try to look everywhere. They should look into the bio-data even when they have not applied and call them on the basis of the bio-data and take certain decision. At any rate, I feel that the Government should give its utmost attention to the three important matters that I have suggested and come before the House very soon with its decision regarding (i) the media of examination being all recognised regional languages for these examinations, (ii) revision of the contents of courses, and (iii) simplifying these examinations on the basis of the recommendations of the Kothari Committee. Before concluding I would say that although there are limitations and inadequacies in the working of the Commission, I am happy to note that they are aware of this situation and they are trying their bit to improve it. I would, therefore, stress again that they should accelerate the process of reforming the Commission procedures so that it really becomes a public service commission, not of the elite and the wealthy, but of the common people, also of the young men and women of the rural areas and weaker sections, of our society. Thank you.

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मतत्बा फिर आज हमारे सामने यू०पी०एस०सी० की रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे एक फर्ज अदा कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं करना । जब भी यहां कोई रिपोर्ट आती है और खास तौर पर ऐसे कमीशनों की रिपोर्ट आती है मैं समझता हूं उसपर हम लोग बहुत सोच समझ कर गौर करने के बाद बहुत से मशविरे देते हैं । लेकिन अफसोस यह मालूम होता है कि जब दूसरी मतत्बा वह रिपोर्ट आती है तो उसमे उन मशविरों का, न उन सुझावों का जो हमारी तरफ से दिये जाते है, कही कोई जिक्र होता है, कहीं कोई असर होता है । न उसके काम पर कोई असर होता है, न उसके नाम पर कोई असर होता है, न उनके सोचने पर कोई असर होता है, न उनके तरीकों पर कोई असर होता है । यहां पर यह कहा गया कि कोठारी कमीशन मुकर्रर किया गया और उसने बहुत सी सिफारिशात की है । । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे मुश्किलें जो आज कमीशन को मालूम है, वह मुश्किलें आज हमें भी मालूम हैं, वे आज से पहले की हुकूमत को भी मालूम हैं वे क्या सिर्फ कोटारी कमीशन ही हल कर सकता था । हमने भी इन सारी बातों को कहा है । क्या कोठारी कमीशन कोई आसमान से उतार कर लाया है ? उन्होंने भी वही बात कही जो हमने कही है । जब हमारी बात का असर नही होता तो मुझे यह यकीन नहीं होता कि कोठारी कमीशन की बात मानी जाएगी । आज ही लंच से पहले हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो पुलिस सर्विस कमीशन मुकर्रर हुआ था उसके अन्दर जिस किसम की भावना थी उसके अन्दर जसे उन्होने सोचा था, उस कमीशन के लोगों को जिस तरह से उन्होंने बनाया था और उसके जो टर्मज़ आफ रैफरेंस मुकर्रर किए थे, अगर हमारी होम मिनिस्ट्री इस तरह से सोच सकती है तो जाहिर है कि जो कमिशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं उस मिनिस्ट्री के प्रभाव से असरदाज कैसे नहीं हो सकते है । वे भी ऐसे ही सोचेंगे ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि मिनिस्ट्री वाले । जो पुलिस सर्विस कमीशन की स्थापना की जा रही है उसमें जो माइनरटीज़ और शैडूल्ड कास्ट के कोई लोग नही है जिनके ऊपर पुलिस के अत्याचार होते हैं, जिन्हें पुलिस के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनको नुमाइंदगी देने के बारे में नहीं सोचा गया । यह क्यों नहीं सोचा गया ? मै चाहता हूं कि मंत्री महोदय जिस वक्त जवाब दें तो इसके बारे मे जरूर तपसरा करें । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 1947 से पहले गवर्नमेंट सर्विसिज़ में माइनरीटीज़ के, शैडूल्ड कास्ट के लोग होते थे । मैं खास तौर पर यहां कहना चाहूंगा कि माइनरीटीज़ की

उस वक्त की जो रेशो थी हमारी जो टोटल आबादी है, 9 फ़ीसदी के ऊपर रेशो हुआ करती थी लेकिन हमारी आबादी आज बढ़ गई है और बढ़ कर टोटल आबादी की 10.5 प्रतिशत हो गई है। उस वक्त सारे देश के सर्विसेज के अन्दर हमारा जो रेशो था वह तकरीबन 32 प्रतिशत था और आज वह रेशो घट कर 2 प्रतिशत रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमारी बुद्धि मारी गई है? क्या हमारी अक्ल गुम हो गयी है? क्या हमारी लियाकत मे कमी आ गई है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हमारी हकूमत या हमारे मन्त्री महोदय जो यहां बैठे है क्या उन्होने कभी इस बारे में सोचने की तकलीफ़ गंवारा की है। मै यह चाहता हूं कि यह भी तो मशविरा दें कि यह कैसे हुआ, वहां इसमे कमी आ गयी, इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए कि उन लोगों को भी इसका हक मिले जो इस देश के रहने वाले हैं जो इस देश के ऐसे ही वफादार है, जो इस देश के ऐसे ही शहरी हैं जैसे कि हमारे मन्त्री महोदय हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सवाल है जो कमीशन के सामने बराबर आना चाहिए, जो उस मिनिस्ट्री के सामने बराबर आना चाहिए जो इस कमीशन के जिम्मेदार है, जो इस कमीशन के लिए नीति बनाते है जिन्होंने इस कमीशन को बनाया है इस कमीशन की रहनुमाई करते हैं और इस कमीशन को गाइड लाईन देते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोठारी कमीशन ने भी इस पर कुछ गौर किया है और अगर गौर किया है तो क्या मन्त्री महोदय हमे यह यकीन दिलायेंगे कि इस सवाल को लेकर एक मर्तबा फिर यू० पी० एस० सी० की वर्किंग पर गौर करने के लिए कोई कमीशन मुकर्रर करेंगे या कोई कमेटी बनायेंगे। ऐसी कमेटी आपको वह मशविरा दे सकेगी जिससे कि यह मोजज़ा या यह राज आपके सामने खुल सके कि 32 फीसदी के जो लोग थे वह 2 फीसदी रह गये है और मुझे मालूम नहीं है कि हम 2 फीसदी भी रह सकेंगे या वह भी खत्म हो जायेंगे। मैंने जो शिकायत की है यह आप समझ लीजिए कि मैंने दुखे हुए दिल से शिकायत की है इसमें किसी किस्म की कम्यूनल भावना नही है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि हमारी लियाकत के मुताबिक हमें नौकरी मिलनी चाहिए हम यह नही सोचते कि हम सब आई० ए० एस० या आई० पी० एस० बन जायें। मैं तो यह कहने पर भी तैयार हूं कि हमारे अन्दर क्या ऐसे भी लोग नहीं हैं कि जो क्लास 3 और क्लास 4 में नौकरी पा सकें अगर क्लास 3 और क्लास 4 में भी नौकरी पाने के हकदार नहीं हैं तो मुझे बताया जाय कि हम मे क्या कमी है ताकि हम उस कमी को दूर करें और दूर करने के बाद फिर आपके सामने आयें। इसी तरह से और भी भाईयों ने जिक्र किया है हरिजन भाईयों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन ज्यादतियों को मिटाना जरूरी है, उस कमी को पूरा करना जरूरी है। उनका जो रजिवरवेशन अब तक रहा है वह क्यों नही पूरा हुआ है। उनका रिक्रूटमेंट मे ही नहीं बल्कि प्रोमोशन मे भी कोटा क्यों नही पूरा किया जाता है। आखिर हम वादों पर कब तक जिन्दा रहेंगे, कब तक जियेंगे। हम चाहते हैं कि इन वादो से निकल कर आप आगे आयें। बहुत बढ़ चढ़ कर इलेक्शन के जमाने में वादे किये गये थे, आपने बहुत कुछ लोगों से कहा था कि हम यह करेंगे हम नौकरी दिलायेंगे, हम तुम्हारी जुबान को तरक्की देंगे लेकिन आज जब हम आपके सामने आये तो आप मायस कब जवाब देते है। हमारे सामने वह बातें आज अगर आप इलक्शन के पहले कहते तो हम उसका सही जवाब दे सकते। हम जानते है कि यू० पी० एस० सी० में अक्लियत के लोगों के लिए कोई जगह नहीं नही है। यह दूसरी बात है कि इस का चेयरमैन एक अक्लियत का आदमी बना दिया गया। हमें चेयरमैन बन कर कोई खुशी हासिल नही होती है हमें राष्ट्रपति बन कर कोई खुशी हासिल नहीं होती है, हम तो यह चाहते हैं कि हमारे गरीब भाइयों

[श्री खुरशीद आलम खान]

को पेट भरने को मिले, वें क्लास 3 और क्लास 4 में जा सकें। लेकिन जब तक उनको नौकरियां नही मिलेंगी तो आप याद रखिए कि आप इस देश में कमी इत्मीनान और सुकून से जिन्दगी नहीं गुजार सकेंगें और जब तक वह भूखें रहेंगें और आपका पेट भरा रहेगा तो भी आप चैन से नही रहेंगें आपको चैन से रोटी खाना नसीब नहीं होगा इसलिए कि आपको आपके भूखें पड़ोसी रोटी खाने की इजाजत नहीं देंगें। उसके बच्चे जब भूखें रहेंगें, भूख से तड़पेंगें और आप आराम से बैठ कर खाना खाना चाहेंगें तो हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगें। एक बात मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी रिक्रूटमेट पालिसी जो है आखिर उसमें कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है कि हम अपनी रिक्रूटमेंट पालिसी पर दुबारा गौर नहीं कर सकते, उस पर क्यों नहीं हम एक बार फिर से सोच सकते हैं कि आखिर हमारी रिक्रूटमेंट पालिसी में क्या खराबी है, क्या कमी है, क्या दुश्वारी है क्योंकि इस रिक्रूटमेंट पालिसी से हमने देखा कि बहुत से उन लोगों की हक तलफी हो रही है जिनको कि नौकरी मिलनी चाहिए थी जिनको कि रोजगार मिलना चाहिए था जिनकी बेरोजगारी दुर होनी चाहिए थी लेकिन वह बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी मे इजाफा हो रहा है और उसके बावजूद यह उसे सोचने के लिए तैयार नही है कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी दिल्ली स्टेट के लिए जो यूनियन टेरीटरी है क्यों नही आप एक अलहिदा कमीशन बनाते है। दिल्ली के लोगों के लिए एक कमीशन होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के लोगों के लिए एक कमीशन होना बहुत जरूरी हैं। हमारे यहां जितना रिक्रूटमेंट होता है उस को वह अहमियत यू.पी. एस. सी. में नहीं मिल सकती कि जो खुद हमारा कमीशन देगा। मैं समझता हूं, अब वक्त आ गया है आपको गौर करना चाहिए इस मसले पर और जल्द अज जल्द देहली के लिए भी एक कमीशन मुकर्रर करना चाहिए ताकि वह देहली के तमाम रेक्रूटमेंट की रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से अपना फर्ज अंजाम दे सके और अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सके *(Time Bell Rings)* यह कमीशन हो या और कोई कमीशन हो जब तक उस कमीशन के अन्दर नीति यही रहेगी मै समझता हूं तब तक उससे कोई फायदा नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि अब हमारे बैंकों में बहुत ज्यादा रेक्रूटमेंट होने लगा है; उनके लिए भी एक अलाहिदा कमीशन मुकर्रर होना चाहिए और वह कमीशन ऐसा ही होना चाहिए जैसा रेलवे वालों ने अपना कमीशन मुकर्रर कर रखा है ताकि वहां भी अच्छे और मुनासिब लोगों का सेलेक्शन हो सके। इसी तरह से हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए भी एक अलग कमीशन होना चाहिए। भाईभतीजावाद का वहां जो दौरदौरा है वह खत्म हो और अच्छें लोगों को हम रेक्रूट कर सके और अच्छें लोगों को नौकरी दे सकें।

आज तक हमने जो कुछ भी किया है, जैसा आप ने कहा वह शहरी लोगों के लिए ज्यादा हुआ है लेकिन अब खुशी की बात है कि देहात के लोगों के लिए 30 फी सदी तक रेक्रूटमेंट की हद पहुंच चुकी है। हमे बहुत खुशी है। लेकिन यह खुशी उस वक्त होगी जब यह भी हो जाएगा कि आपकी कोशिशों से उन लोगों को मौका मिलने लगें जिनकी रेशो 2 फी सदी रह गया है। उनकी तादाद 300 फी सदी नहीं भी करें मगर फिर भी 10 फी सदी हो जाए या 12 फी सदी बन जाए, ताकि वें भी अपनी जिन्दगी गुजार सकें। मुझें नहीं मालूम मेरी बात कितनी मंत्री महोदय समझ रहे हैं, मुझें मालूम नही कि मेरी बात पर कहां तक

मंत्री महोदय ध्यान देंगे लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि आपको एक रिजर्वेशन करना पड़ेगा और वह रिजर्वेशन ज़रूर होना चाहिए और उस रिजर्वेशन की बुनियाद होनी चाहिए सिर्फ इक्तसादी या आर्थिक—लोगों की आर्थिक दशा पर, लोगों की इकानामिक कंडीशन के मुताबिक वह रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वह लोग जो पिछड़े हुए। जो गरीब हैं, वह ऊपर उठ सकें। इसमें किसी मज़हब का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसमें किसी फिरके का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह मुल्क और उसके समाज पर एक बड़ा अहसान होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं कि मंत्री महोदय ने मेरी बात को कहां तक सुना और कहां तक समझा? मैं तो आखीर में सिर्फ उर्दू का एक शेर पढ़ दूंगा :

"यारब न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात
दे उनको दिल और जो न दे मुजको जुबां और।"

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing the Report of the U.P.S.C. But I would like to point out that there is no national policy on jobs. There is no national policy either from the Government or from the U.P.S.C. in the absence of such a policy, we are discussing this Report from various points of view and from various angles. I would suggest that there should be some sort of a comprehensive national policy on jobs covering examination systems, objective tests, scheme of subjects, language media, delinking of degree, exemption of posts from the purview of the U.P.S.C. rural orientation, representation for scheduled castes and scheduled tribes and so on. Is there a comprehensive policy either from the Government or from the U.P.S.C.? I think, in the absence of such a policy, it is a futile exercise on our part to offer constructive criticisms on the Report of the U.P.S.C. But I appreciate that the U.P.S.C. recommends only 3 to 4 per cent of the candidates to the Government for appointment. Though it is a herculean task for the U.P.S.C. to screen thousands and lakhs of applications, ultimately, it recommends only 3 to 4 per cent of the candidates. Thus, there is enormous expenditure and enormous official work. Therefore, the U.P.S.C. holds a unique position and a position of prominence as an institution in the field of service to the country as well as to our people. Today much depends on the usefulness of public servants who number about 7.6 million, when there is wide ramification of public service which now has to discharge highly specialised managerial functions in public sector and other developmental agencies. On their performance depends successful implementation of all developmental programmes and progressive legislations to change our socio-economic structure. It is the combination of a wrong set of people with in appropriate rules and procedures that had long made land reforms a farce. It is this combination which can do the wrong or do the right Such combinations of the working capacity of the public servants as well as good selection can do a miracle in our administrative service.

Sir, we have now experiences of the UPSC's 50 years service since it was established in 1926 and we have got the experience of its 25 years of service since the introduction of our constitution. The present mode of selection to the I.A.S. and other central services was designed by the colonial administration for a well-defined purpose to suit the interest of the foreign rulers, the old theory that a brilliant man with an agile mind can do any job is outdated and unscientific. We are repidly moving from maintenance administration to that of developmen-

[Shri Sanat Kumar Raha]

tal administration. This thing should be noted by the UPSC as well as by the Government at the time of framing the national policy. But still we have been following the legacy, to a certain degree, of the old obsolete outlook. There is a general feeling that the recruitment to the IAS, IFS, IPS and other allied Services is weighted in favour of these who are fluent in English—this language is mistakenly identified with certain irrelevant snob values in discharging public services in the Indian situation a typical situation where developing economy is growing.

In today's situation, UPSC, as it is, is urban biased. It needs orientation in the interest of 80 per cent of the population who live in rural areas. It is not the questioon of increasing the percentage of rural people as against the percentage of urban people or vice versa. It is a quesion of orientation, how a public servant can work in the rural area with orientation of rural mind, in the interest of 80 per cent people who live in villages, who live in the rural areas who are Scheduled Castes, Scheduled Tribes, with backward background. For them the UPSC should think seriously in a radical manner not in a piecemeal form to fulfil the quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Measures should also be taken to ensure that civil servants can respond with sympathy, competence and speed to public needs instead of merely processing files at a leisurely pace. On the other hand, civil servants should also be allowed to carry out declared policy of the Government without facing any pressure from the governmental side of the ruling party.

Speedy disposal is most essential to remove frustration of harassed people. Daily the people are harassed in the offices of the Government. Sir, the public servants and the bureaucrats must not only be competent but must also have a commitment to the people and their urges and aspirations. This should be the outlook of the public servants. Development of the Union Public Service Commission in physical terms only and giving jobs to the rural people will not do. There should be a radical change in the thinking and orientation of the entire service so as to meet the urges and aspirations of the people. This is the crying need of the people today. Public service is meant for the people and the public servants have to act as people's servants. There must be a national job policy, as I have already stated. Modern administration is too complex to be served by recruitment philosophy based on earlier premises. In a developing country like India where serious imbalances in development are spectacular and where Government activities touch all aspects of our life today, there has not been any serious attempt on the part of the Government to elevate the rural people and the poor people from a backward to an onward progressive orientation. As a result, the rural feeling is agitating against such urban-biased administration with a mixed feeling of superiority complex of the administrative staff. The rural people think that they are of an inferior nature. This complex should be removed from the minds of the people otherwise the public servants cannot be of any use in the development of Indian polity.

As regards reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the report says in Para 7 on page 6:

> "In regard to technical posts the position continues to be unsatisfactory. The picture is not different in cases of recruitment by interview where the shortage in availability of candidates particularly those belonging to Scheduled Tribes is more marked because of the fact that nearly 80 per cent of the posts for which recruitment is conducted by the Commission by the method of interview is for scientific and technical posts".

If you want to increase the number of candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it will not be possible if there is no basic training for these people from the bottom level of education as to how they can compete when they go for the examination. So this pre-examination training is essential so that they will ultimately have some scope for selection by the UPSC.

Regarding the Combined Engineering Services Examination, on page 34, the report says that it has been found from the examination charts from 1968 to 1975 that out of 7880 candidates, only 371 were from Scheduled Castes and 30 from Scheduled Tribes. Percentage-wise, during this entire period of 8 examinations, the Scheduled Caste candidates constituted 5 per cent and the Scheduled Tribes 5 per cent. The report also says in regard to administrative posts that there were 83 posts for which 493 Scheduled Caste candidates and 111 Scheduled Tribe candidates applied. The number recommended was only 18, while 21 posts were reserved for them. In total there were 383 posts in all the subjects and for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes the number of reserved posts was 126. Out of these 126, the number recommended was only 77 in 1975-76. Though the number of Scheduled Caste candidates was 1757, the number of Scheduled Tribe candidates was 273. Though so many candidates applied 176 posts were not filled up.

As regards examinations requiring engineering and other qualifications we get similar reports. They are not given any basic training. There is no pre-examination training to prepare cadres for the civil service examination. So I emphasise that the Government and the Public Service Commissions should also recommend for the training of the cadre for the U.P.S.C. examinations before examination.

The report mentions also about delays in confirmation of officers. There are references to delays and irregular appointments on page 45 para 33. There are also other observations by the U.P.S.C.

The time taken by the Government for giving advice in disciplinary cases is also unusual. There is unnecessary delay. So this should be removed. There is need for proper assessment of the number of vacancies to be filled through examination. This is also delayed by the Government. These are things which hamper the speedy activity of the U.P.S.C. The role of U.P.S.C. should not be at all minimised or undermined. On the other hand it is necessary to build up healthy convention under which U.P.S.C. recommendations are normally accepted and without delay. A great deal of effort and expense is involved in the process of selection. All this should not be reduced to a futile exercise by the Government departments, making unnecessary delay, which affects the speed of activities of the U.P.S.C. which is most essential.

It is in the interest of the Government to protect and promote the role of the U.P.S.C. as a watchdog of the merit system inherent in the method of selection by the Commissioner in our democratic set up.

Sir, in conclusion I should like to say that the U.P.S.C. repeatedly says that their power is being curtailed. Some appointments are exempted from the purview of the U.P.S.C. I do not think the public sector should be beyond the purview of the U.P.S.C. In the Government there are so many departments. There are so many appointments. I wonder why the Government should not consider giving more power to the U.P.S.C. in a democratic set up to work democratically so that there is smooth working in the U.P.S.C. to enable them to select efficient candidates.

I think the Minister should alsc clarify the situation regarding observations made by the U.P.S.C. regard·

[Shri Sanat Kumar Raha]

ing the defects and delays in the Government.

श्री विशम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की 1975-76 की रिपरेर्ट विचारार्थ प्रस्तुत है। प्रश्न यह है, जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने उठाया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक चुने जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बहुत वर्ष हुए गांधी जी ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि हमारे देश के वें व्यक्ति जो प्रशासक के पदों पर नियुक्त होते हैं और जो करोड़ों मूख और भूखी जनता के ऊपर शासन करते हैं, वें नहीं जानते कि जनता किस स्थिति में रहती है, वें नहीं जानते कि उनके जीवन की प्रणाली क्या है। जो उनके दुख दर्द को नहीं जानते, उनका ज्ञान कितावी होता है और जिनका ज्ञान किताबी होता है वे समस्याओं की वास्तविकता में और उनकी गहराइयों में नही पहुंच सकते है। बात उनकी बहुत बड़ी थी और बहुत ठीक थी। इसी तरह से एक्सपर्टस के बारे में भी उन्होने अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने राजेन्द्र बाबू से, सरदार पटेल से और जवहार लाल नेहरू से कहा था कि एक्सपर्टस लोग जो आंकड़े पेश करते है क्या आप इनको सही मानते है और जो आदमी आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता है, क्या आप उसको गलत मानते है या उसकी बातों पर विश्वास नही करते है? उनका कहना था कि हो सकता है कि जो आदमी आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकता है वह मर्म को जानता हो, मर्म को समझता हो। इसलिए हमारे सामने प्रश्न यह है कि इन सारी चीजों के संदर्भ में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या कर्त्तव्य है? क्या उसका कर्त्तव्य इतना ही है कि वह परीक्षाएं लें और परीक्षा लेने के बाद लोगों की नियुक्तियां कर दे? अगर उसका कर्त्तव्य यही है तो इससे हमारी वह मशा पूरी नही होगी जिसकी ओर प्रो० राम लाल पारीख ने और हमारे दूसरे साथियों ने इशारा किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उन सिद्धान्तों को निरुपित करें जिन सिद्धान्तों के अनुसार हमें इस देश का शासन चलाना है और जिन सिद्धान्तों के अनुसार हम अपनी जनता को राहत पहुंचाना चाहते है। अगर हमें लोगों को राहत पहुंचानी है तो फिर उसके अनुसार हमें प्रशासक नियुक्त करने होंगे और ऐसे प्रशासन नियुक्त करने के लिए हमें यह देखना होगा कि यू० पी० एस० सी० ने जो मयार बना रखे है उन मयारों में परिवर्तन लाया जाय।

आज प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या कारण है कि हमारे देश के सकड़ों वैज्ञानिक बाहर चले जाते है, हमारे देश के सकड़ों इंजीनियर इस देश को छोड़कर विदेशों में क्यों चले जाते है? उनको यहां पर रोजी नहीं मिल पाती है। मैं ऐसे बहुत से केसेज को जानता हूं जिनमें एकेडेमिक तरीके से लड़का शुरू से आखिर तक फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा है और थ्योरी मे भी वह निकल जाता है, लेकिन इन्टरव्यू में कामयाब नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सी चीजें है। मैं उसमे नही जाना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हू कि इस देश में जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्षेत्रवाद इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्रान्तवाद इतना बढ़ा हुआ है कि ये सारी चीजें हमारे दिमागों को परेशान किये बैठी है। कल ही की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजों की नियुक्ति हुई है। नये नियुक्त 9 जजों में से 6 जज सिर्फ एक जाति के है। क्या बात है कि 6 जज एक जाति के नियुक्त कर दिये गये? आज हमारे समाज में क्या बातें काम कर रही है इसको हमें देखना है और समझना है। अभी हमारे मित्र वर्मा जी ने कहा कि सेन्ट्रल स्कूलों और पब्लिक स्कूलों को मिलाकर देखा

जाय तो पता चलेगा कि 40 फीसदी नौकरियां इन्हीं स्कूलों के लड़कों को मिलती है। 60 फीसदी जगहें अन्य लोगों को मिल पाती हैं। ये ऐसी नौकरियां हैं जिनमें हमारे देश के प्रशासक नियुक्त किये जाते हैं। आपका यह कहना था कि हम लोगों को स्कालरशिप देते हैं और पिछड़े हुए और गरीब लोगों के लिए दूसरी सुविधाएं देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्कालरशिप मिल पाती है? हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आम स्कूलों में पढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें अमीर आदमी और सम्पन्न आदमी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में और युनिवर्सिटियों में पढ़ा पाते है और उनके कोचिंग के लिए और टयूशन के लिए सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति मे गरीब आदमी का लड़का उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। आपने कहा कि आपने कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन में नम्बर घटा दिये है। अंग्रेजी, मेथ्ज और साइंस वगैरह मे नम्बरों को डेढ़ सौ से घटा कर सौ कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि इन विषयों का स्टेन्डर्ड घट गया हो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर हम इतिहास उठा कर देखें तो शुरू से, 1885 के पहले से आवाज यह उठाई गई कि इस देश के रहने वालों को ठीक रिप्रजन्टेशन नही मिलता। उसके बाद बराबर यह आवाज उठाई जाती रही कि साहब यहां के लोगों को इंडियन सिविल सर्विस में जगह मिलनी चाहिए, यहीं इम्तिहान होना चाहिए। मुझ को याद है, बहुत वर्ष पहले, शायद 50 वर्ष पहले की बात होगी—मुझे 58–59 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गये, मैंने दुनिया देखी है—एक कमिश्नर साहब जो आई०सी० एस० थे, उनकी पत्नी अपने दो बच्चों को एक पब्लिक मीटिंग में ले आई। उनकी पब्लिक मीटिंगों में दिलचस्पी थी। उन लड़कों ने वहां लोगों को जमीन मे बैठे देखकर कहा कि "Mummy, why did you bring us among these dirty dogs?" वही लड़का आज आई०ए०एस० है और कमिश्नर के पद पर बैठे हुए हैं। जिसके दिमाग में हमारी जनता के प्रति यह विचार हो जो उन्हें डर्टी डाग कहे, क्या वह उनकी भलाई की बात सोच सकता है? मैं तो यह कहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की महत्ता उस वक्त तक हमारे मंत्री-गण नही समझ सकते, जब तक कि खुद मंत्री बनने के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये ये लोग न आयें। तब यह देखेंगे कि 90 प्रतिशत मंत्री फेल हो जायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (राजस्थान) : एक नहीं आयेगा।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : इसलिये प्रश्न यह है कि हम इसको समझे, इसे अच्छी तरह से समझें और देखें। यह सवाल केवल कुछ नौकरिया तय करने का नहीं है।

[The Vice-Chairman (Shri U. K. Lakshmana Gowda) in the Chair]

यह सवाल प्रशासक मुकर्रर करने का नही है बल्कि सवाल यह है कि हमारे देश में किस तरह का प्रशासन हो। हमारे देश मे जो प्रशासन हो, उसको चलाने के लिये इस बात की भी जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करें, अपनी परीक्षाओं मे क्या सुधार करें, अपने नजरिये मे क्या सुधार लायें, अपना दृष्टिकोण कैसा बनायें। जब तक इन सारी चीजों पर हम विचार नही करेंगे तब तक केवल ये आंकड़े हर साल आपके सामने पेश होते रहेंगे, आप उन पर विचार करते रहेंगे और नतीजा कोई नहीं निकलेगा। यह बीमारी केवल हमारे यहां नहीं है, बल्कि यह बीमारी आज सारी दुनिया में हर जगह फैली हुई है। बर्कले यूनिवर्सिटी के सिलसिले मे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसके चेयरमैन मि० राबर्ट मैकनमारा थे। मि० राबर्ट मैकनमारा ने अपनी इस रिपोर्ट मे लिखा है कि बर्कले यूनिवर्सिटी में एक झगड़ा हो

[श्री विश्वम्भर नाथ पांडे]

गया। वहां के स्टूडेन्टस ने तीन सौ एकड़ जमीन जो वहां पर खाली पड़ी थी जो जंक रखने के काम आती थी, उसको साफ करके वहां बगीचा बनाया, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से। वहां के जो प्रशासक थे, उनको यह महसूस हुआ कि उन लोगों ने इनक्रोचमेन्ट कर दिया हमारी जमीन का। उन्होंने बुलडोजर लगा करके सारे बगीचे को नष्ट करना चाहा। लड़कों ने रेजिस्ट किया। 15 हजार लड़के थे, उनके ऊपर 6 हजार टन अश्रु गैस छोड़ी और उस बगीचे को नष्ट कर दिया गया। पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। बाद में मालूम हुआ कि प्रशासकों ने कम्प्यूटर से पूछा कि यह इनक्रोचमेन्ट है या नहीं। कम्प्यूटर ने जवाब दिया कि हां, यह इनक्रोचमेन्ट है और उन्होंने उस इनक्रोचमेन्ट को हटा दिया।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : इमरजेन्सी की कहानी है।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : यह डेमोक्रेसी की कहानी है। यह कार्टर साहब की डेमोक्रेसी है, जहां से आप डेमोक्रेसी का प्रमाण-पत्र ले रहे हैं।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा डेमोक्रेटिक कन्ट्री में यह हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रशासनिक ढांचा इस तरह का है, नजरिया इस तरह का है। जब हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक आप यकीन रखिये, यह रिपोर्ट यहां आयेगी, आप देखेंगे, हर साल आप उस पर कमेंट करेंगे। लेकिन अगर उससे आप कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगें तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।

SHRI K. B. ASTHANA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, we know that the Union Public Service Commission is an important organ of the constitutional set up in our country so far so that we find that its rights and duties are laid down in the Constitution. It has always been regarded in all the democratic countries that such a Commission is an important organ in helping the administration. I will not emphasise on its primary role of recruitment, but I would emphasise on its role, as an instrument in helping the Government to keep discipline.

We find from the report that there were more than 300 cases in 1975-76 of disciplinary proceedings against the Government servants and it tendered advice to the Government. In a very few cases there was difference of opinion between the Government and the Union Public Service Commission. But I do not think that this report should be viewed in this light as if something wrong has been done by the Government in not agreeing with the recommendations of the Union Public Service Commission. It is for the simple reason that the Constitution has laid down that the Government will do something or the other after consulting with it. Its role should be only that of a consultative body; it is neither an appointing body nor a punishing body. But I am happy to note from the report that in most of the cases the Government has agreed with the recommendations of the Union Public Service Commission in disciplinary matters. No doubt, the Government need not agree with its opinion and if such cases are the minimum it is a matter of gratification. But my experience for three or four years as counsel for the Union Government—I was practising in the High Court—and as a Judge has been that in the sphere of discipline and control, advice and ultimate action, there has been some sort of, what I say, lack of understanding and knowledge on the part of the Commission itself and on the part of the Government institutions or authorities which ultimately deal with the cases.

Now I find in the 1975-76 report that the personnel of the Union Pub-

lic Service Commission do not contain a law man when its basic duty is to advise the Government on disciplinary matters. I remember many years ago there was a retired High Court Judge as a Member of the Union Public Service Commission. Before that also there were such persons. But today the personnel consists merely of a majority of educators and some men from services of the Government, army, air force or executive administration. So, I would urge upon the Government that, considering the task assigned to the Union Public Service Commission in the matter of disciplinary control of the services, it is really necessary that they should have amongst the Members at least one person who is an expert in law. Moreover, I find 4 P.M. from the Report that in most of the boards of selection or interview, there is a complete lack of persons who come from public life, and I do reflect some of the feelings which Shri Bishambhar Nath Pande expressed that there must be some method devised so that instead of the board being constituted merely as a body consisting of persons who have come from the services or from the cloistered academic life, one or two members are always there who have been in public life. After all, the experiment made by the States in their Commissions has not been a failure. You find that in many of the statesmen from public life have been inducted as members of the Public Service Commission. The Union Government has been very very conservative in this respect. It is time now that we broaden the composition and bring in men of integrity, of sound knowledge, of maturity, as members of the Commission.

Now, one more point I would emphasise, Mr. Vice-Chairman, and that is with regard to the Report of the Commission where it says that there have been numerous cases in the Central Government and they have continued it despite warnings of *ad hoc* appointments to various posts. Well, may be that was in the past. As the Report indicates, it would take a long time before the preliminaries and the other procedures could be completed by the Commission and there used to be delays and, therefore, that was taken as a good handle for bringing in persons to Government service on the basis of *ad hoc* appointments. Of course, human nature being what it is—and we are human beings—*ad hocism* is nothing but a sophisticated form of nepotism. Now the Commission has said—and I must congratulate them for this—that they have now reduced the period of advice with regard to direct recruitment to four months and with regard to promotion or advancement to two months. And they have said that now that they are able to deliver the goods much earlier than before, it should not become a habit with the Government to make *ad hoc* appointments. I think that is a trend in the right direction and I hope that our Janata Government will, as far as possible, avoid *ad hoc* appointments in various departments of the Government and, if necessary, they would consult the Commission first. The Commission has promised that it will deliver the goods within four months if there is direct recruitment and within two months if there is promotion. Now that is a trend in the right direction for which the Commission deserves congratulations. I hope their effort to minimise the period further would continue. It is only then the public will have confidence in the Government, for this is a very delicate area. And so many of us will not understand the other implications of administration. But it goes down to the humblest mind. Look, the sons-in-law of so and so have been appointed; the nephews of so and so have been appointed in Government service. And such calumnious propaganda against the Government authority has its own potential danger. I hope the Government will safeguard the Union Public Service Commission against all these kinds of calumnious

[Shri K. B. Asthana]

propaganda, have faith in it and give it all facilities to speed up and expedite matters which are entrusted to it and succeed in bringing into the Government machinery men of real merit and real worth.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI (West Bengal): Sir, I would like to make certain observations regarding the Union Public Service Commission. What is, after all, this Union Public Service Commission? This is just an examining body just like the Secondary Board or the Higher Secondary Board or the admission test Board. What do they do? Their duty is only to conduct examinations. Coming to selection, it is controlled by the law of supply and demand. Supposing the number of posts is more than the number of applicants, then there would be no necessity for any test. Therefore, what they are conducting is not actually any merit test. It should be rather known as the process of elimination test. We ask the hon. Minister one question. Suppose 2,000 applicants appear in an examination and the number of posts advertised is only ten. What will you do? You simply prepare a panel of not just ten persons, but a panel of 15 or 20 persons. Do you mean to say that all the rest, namely, 1,980 candidates are dull boys? All of them fulfil the basic qualifications prescribed, namely, first class honours or whatever it is. They are not to be rejected by the society. Therefore, the test the UPSC conducts is not really the merit tests. It is exactly the process of elimination test. In this process of elimination who are the persons eliminated? Who are selected in this process? Hon. Members have already mentioned that the people who are selected or who are at the top of the selection list are mostly from English medium schools, missionary schools or central schools. The hon. Minister has just read from the report and said he was happy that 30 per cent of the candidates selected are from rural areas. I do not believe that. I would like to know how many actually came from English medium schools or missionary schools or central schools. I would like to see the names of schools or colleges from which these selected candidates have come. Where did they have their higher secondary education or B.A. degree examination? If I write my name under an address of a remote village, that does not mean I come from the rural area. I may be a rural boy, but I might have had my education in an urban or city area and I might have studied in an English medium school. To say that I am from the rural area is very vague. Sir, I would like to say that somebody should go through the whole process and find out exactly as to how many boys out of those who have been selected during the last five years and from which schools and colleges they have got their degrees and so on. We must make a study of this thing and then we must come out with the facts saying, "Yes, these are the boys, this is the percentage of the boys, who have come from the rural areas". Sir, how can a body from a rural area, passing his higher secondary examination, or a boy getting his BA degree from a college in a small town, compete with a boy who comes out of a missionary school, say, the St. Xavier School? It is not possible and it is very difficult. How many of the parents can send their children to those schools and colleges where the tuition fees are twenty or thirty or forty rupees a month? There is also another thing and it is the perquisites that are to be given to the children by the parents for the education of their children. How many parents can afford to give such perquisites to their children in order to have them educated in the missionary schools? But, Sir, we must try to know the reasons for this. What is the reason for the parents sending their children to such schools or the English-medium schools? It is because of the fact that we are still clinging to the colo-

nial system of examination. The same old colonial system of examination still prevails with the written examination and the *viva voce* test. The purpose of the examination is to test the knowledge of the students. Now, you are having the written examination and the written examination can be taken by the boys in their mother-tongue. But you have the *viva voce* test also and you have about two hundred or three hundred marks for the *viva voce* test. But what is the purpose of this *viva voce* examination? What do you test in this examination? You never test the knowledge of the boy in this examination because you have already tested it in the written examination for which you have allotted 800 or 900 marks. So, why do you keep another 200 marks for the *viva voce* examination or why do you keep another 300 marks? What is the purpose of this test? After all, after the officer is being recruited, he is not going to give any public speeches and he is not going to have public contacts. Then, what do you observe in the boys in these *viva voce* tests? What is being done in these tests is that mostly they observe the accent of the boy, the English accent of the boy, and they see how he speaks in English and if he is able to answer in English. So, this is not the real test. As my friend, Shri Pande, just now said, a boy getting a first class throughout his educational career appears in the test, but he finds that his name is not there in the selection list. His name is not there in the selection list even though he has secured 700 or 750 marks out of 800 marks in the written examination. It is because you have kept 300 marks for the *viva voce* test and he may get only 30, whereas a boy coming from a public school or a missionary school may be able to secure 200 or 250 marks out of 300 in the *viva voce* test thus securing a better position over the boy who is really bright in his subject. So, Sir, I would like to say that the whole outlook and the whole approach must be changed. But then again there is another difficulty and it is this: If you are going to hold the examination in the regional languages or in the mother-tongues of the boys, you have to hold the examination in 14 languages. In that case, who will be the examiner? We will have to find examiners in the various regions of the country. Then we will have to send officers to the different regions for conducting the examination. Then, Sir, the same thing will happen as was pointed out by my friend earlier. He said that six judges came from the same caste. These are the problems and difficulties that we will have to think over very carefully and we have to do something about it so that justice is done to all. Then, if you are going to have the *viva voce* test, in what language are you going to hold it? In Hindi or in the other regional languages like Bengali, Tamil, Telugu, etc.? In that case, what will be the composition of the board of selection or the selection committee or the selection body? These points are to be carefully considered and we have to find proper solutions to these problems.

There is another point which I would like to make. I would like to know how much money we have spent during the last five years in conducting these examinations and actually how many people got the jobs. What is the cost ratio? Sir, the cost ratio per appointment through the UPSC should be calculated. What we can do is this: We can have a whole list after an examination is held, if it is an all-India examination, and from this list we can suggest names for appointment in the public sector undertakings, in the Government services, in the banking institutions and in other services. All these services can be fed by the UPSC. Suppose two thousand boys appear in a particular examination. After the examination, a panel can be drawn up on the basis of some minimum marks

[Dr. Rajat Kumar Chakrabarti]

and this panel can be sent to the Government for consideration. The appointments can be made from this panel.

Now, I come to the question of fees. The fees for the examinations are exorbitant—Rs. 80 or Rs. 90 per examination. It is very difficult for even the rural boys to pay Rs. 80 or Rs. 90 for each examination. He may have to appear once, twice or thrice or in different examinations. He has to pay the fees every time.

Sir, another thing that I have watched is that nobody has kept any record so far of the time taken from the day the advertisement appears and the day on which the appointment letter is issued for a particular post. In my opinion, it must be more than one and a half years or two years. Sir, you will appreciate that the candidate is not expected to sit for one and a half years or two years, just waiting to hear from the Union Public Service Commission or from the Government. Sir, the whole process should be cut down in such a manner that from the date of advertisement to the date of the final issue of the appointment letter the time does not exceed three months. I do not think there is any justification in having such a big organisation and taking this type of examination for the purpose of recruitment.

Sir, I also feel that in all services, whenever there is the question of promotion from one cadre to a higher cadre, for all these cadres there should be examinations to be conducted by one organisation—the U.P.S.C. or any such organisation—so that, as one of my hon. friends mentioned, malpractices can be avoided if we hold examinations through such independent agencies for all stages of promotion—not only for Government service but also for public sector, bank services, and so on.

Thank you.

PROF. N. M. KAMBLE (Maharashtra): Sir, I must thank the Minister of State for Home Affairs for giving us an opportunity to discuss the 26th Report of the Union Public Service Commission.

Sir, it is one of the very important organs under the Constitution which has got an independent role to play. The framers of the Constitution have very wisely kept this organ independent of any influence whatsoever.

Sir, the working of the Commission has already come before this House with so many reports up till now. But I wanted to point out the approach and the attitude of the Government towards this Commission in general and the recruitment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in particular, because the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been given safeguards and reservations in Services under the Constitution, and the Public Service Commission is quite aware of it. As already pointed out by Dr. Chakrabarti, the Commission's main work is to hold examinations and interviews. So far as Class I and Class II posts are concerned—I am not at the moment talking about Class III and Class IV posts—the examinations held by the UPSC are all very important. The manner and the method of holding these examinations, the syllabi and so many other things have been reviewed on many occasions. Even in this report, the Commission has said:

> "With a view to achieve this broad objective (that is, manning the administration by good officers) and to simplify evaluation, the Commission has switched over to the objective and short-answer type of questions in General Knowledge for a number of examinations."

As there are different types of examinations for different posts. the Commission is also handicapped as far as the subjects are concerned. But there are reforms in holding the examinations and the syllabi. They also take

the help of the universities experts and so many other people. But as far as the attitude of the Government is concerned, I am very sorry to say that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have been neglected so far regarding the recruitment to these higher posts. It is not the fault of the Commission. Whatever recommendations, even for the general candidates, are made, the Government has tried to evade them on many occasions. Sometimes, there are direct recruitments which are called *ad hoc* appointments. Sometimes, there are deputations. Sometimes there are departmental transfers. There are also delays by the Government in implementing the recommendations made by the U.P.S.C. The Commission also reviews the different examinations that they hold and the reviews are actually published with the comments of the examiners and sometimes there is a change made in different examxinations. As far as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned, the Commission is out to fill up all these posts. But the attitude of the Government is different. When I say 'Government', I mean the present as well as the past Government. The policy of a Government may be good but those who implement the policy, that is the officers, are to be blamed. The Heads of the Departments are to be blamed. I would like to bring this particular point to the notice of the hon. Minister. As is stated in article 335 of the Constitution, candidates are selected subject to the maintenance of efficiency in administration. This particular provision is misused not by the Commission but by the officers concerned. Another thing introduced by these officers is the system of departmental promotions. The plea is that no suitable candidates are coming forward. Who decides the suitability of these candidates? Only those officers decide this. Apart from this constitutional provision, these officers take the plea that no suitable candidate is coming forward or that this particular candidate does not fit in a particular post. All these things come in the way of appointment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Now, I would like to refer to some of the pages of this Report as far as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned. It is sometimes said that suitable candidates or proper candidates are not coming forward. Here, I draw the attention of the hon. Minister to Appendix V-B at page 92 of the Report. Here, the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates that appeared in the Indian Administrative Service and other examinations is given. There are 93 posts reserved in the Indian Administrative Service and 1313 candidates belonging to the Scheduled Castes and 307 candidates belonging to the Scheduled Tribes appeared for this examination. This shows that there is no dearth of candidates, and as pointed out by Dr. Chakrabarti, it is not a merit test but it is an elimination test. Out of these 1313 plus 307 candidates, only 93 are to be chosen. Under these circumstances, I don't think there is a dearth of candidates among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. They do say that as far as the non-technical services are concerned, there are so many candidates from the Scheduled Castes but a very few from the Scheduled Tribes. But if we go through the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we find that not only in the Class I and Class II services but even in Class III and Class IV services, there is a tremendous backlog and shortfall and the reason given is that suitable candidates are not coming forward. Sir, I am connected with some of the educational institutions and also with the university. I can definitely say that there are thousands of matriculates and graduates from among the Scheduled Castes and also the Scheduled Tribes. Even the hon. Minister who hails from my State very well knows this. But those who are at the helm of affairs do put forward these excuses, and the Sche-

[Prof. N. M. Kamble]

duled Castes and the Scheduled Tribes are, as a matter of fact, robbed of their legitimate right which is guaranteed under the Constitution. If you go through the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you would hardly find any Class I officers and a very few Class II officers of Scheduled Castes and Tribes in the Services.

Sir, another device is now there to de-reserve the posts. The posts are advertised three times. Even if any candidates are available, they are rejected on some such ground, they do say that we cannot carry on with these posts reserved for the Scheduled Castes and keep them like that. Therefore, a de-reservation method has been adopted and thereby a number of Class I and Class II posts which are meant for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been de-reserved and brought into the general pool.

As far as the performance of the candidates belonging to the Scheduled Castes is concerned, the Public Service Commission has said that many S.C. and S.T. candidates come forward and that they are up to the general standard. Not only that. Some of the candidates even come out with flying colours in these tests. This is not the only thing. The Commissioner has also said that sometimes the candidates are not coming forward for some posts from the general community also. Under these circumstances, I do not know what sort of performance these Departments want from the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates. Now, if we turn to page 172 of the Report, we will find that there are statistics given under the various Ministries at the Centre where there are vacancies which are meant for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which have not yet been filled in and they have remained vacant in spite of some of the recommendations of the Public Service Commissions. So also is the case with the departmental promotions and departmental promotion committees, which has been pointed out by the Commission. The Commission has also recommended that arrangements should be made for in-service training and instructions should be issued by the appointing authorities so that these Scheduled Caste candidates may come up. (*Time Bill rings*).

One minute, Sir. Then there are other difficulties with the Scheduled Caste candidates. If they are to apply for some outside jobs, some of the departments do not forward their applications through the Departments and purposely they are kept back. Under these circumstances the Government must see that no Scheduled Caste Candidates or Scheduled Tribe Candidates who are applying for a post advertised by a Public Service Commission, is debarred by the Department only on the ground that they have not applied through the Department concerned.

I, therefore, request the hon. Minister to see that this discussion on this Report is not taken as a mere ritual every year but that whatever suggestions are made by the hon. Members here or in the other House, are taken into consideration, and whatever recommendations are made by the Union Public Service Commission and other Public Service Commissions, especially in regard to the recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are taken into account and these poor classes are given proper justice. Thank you.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि पिछले 30 वर्षों में सरकारी सेवाओं के लिये कोई राष्ट्रीय नीति नहीं रखी और आज भी नहीं है। जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत तरह की हैं परन्तु अभी उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है आया उस रास्ते पर सोच भी रहे हैं अथवा केवल मैनिफेस्टो में इन बातों को डाल दिया। इस बात पर विचार करने के पहले कि हमारी क्या राष्ट्रीय नीति

होनी चाहिए, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, संक्षेप में मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय स्थिति क्या है और किस रूप में चल रही है ।

श्रीमन, इंगलैण्ड के बारे में भी यह रिपोर्ट आई है कि पार्लियामेंट अब वहां पर केवल नाम के लिये शासन-सत्ता का सर्वोच्च स्थान रख रही है। बाकी सारी सरकार की जो मशीन है वह डिपार्टमेंटल ढंग से जनता के जीवन पर हावी है। आज की दुनिया में जब इन विभागों का दायरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, यह सम्भव भी नही है कि कोई पार्लियामेंट या कोई इस तरह की संस्था देश की शासन व्यवस्था में, उसके रोजमर्रा के काम में बहुत ज्यादा हाथ डाल सके। जब यह बात इंगलैण्ड जैसे देश में समभव नही तो हमारे यहां की विचित्र दशा में उसका होना कतई सम्भव नहीं। यह विचित्र हालत क्या है, पहले हमको इसे देख लेना है। अंग्रेजों के जाने के बाद और उसके पहले, इस देश की बदकिस्मती रही है कि यह देश अलग-अलग खण्डों में बंटा हुआ था, जातियों के नाम पर, प्रदेशों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर। यह हमारी हजारों वर्षों की बदकिस्मती रही है। जिसका फल हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। हुआ क्या कि यहां के कुछ वर्ग और जातियां अवसर का लाभ उठाने में बड़ी प्रवीण रहीं। जब मुसलमानों का जमाना रहा, तो बड़ी तेजी के साथ उन्होंने फारसी में दखल ले लिया और वे मुसद्दी और मुंशी बनकर ऊपर बैठ गये। जब अंग्रेजों का जमाना आया तो फट से चोगा बदला और अंग्रेजी सीख ली और उनके नीचे क्लर्क आदि हो गये। वे अंग्रेजों के जमाने में बड़े अफसर तो न हो सके, बहुत थोड़े ही लोग हुए। परन्तु अंग्रेजों के जाने के बाद छोटे-मोटे आफिसर बड़े आफिसर हो गए। फिर इस नौकरशाही ने अपना शिकंजा इस तरह कसा कि आज हालत यह है कि आज केवल 10 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्हें इन नौकरियों में जाने का मौका मिलता है। ये अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग हैं। ये शहरों में रहने वाले है या आमतौर से पब्लिक स्कूलों से आये हैं। आज वह सारे देश के ऊपर छा गये हैं। यह स्थिति है आज हमारी नौकरशाही की। आप देश को बनाने की बात सोचते हैं और आपने बैठा दिया सत्ता में और शासन मशीनों पर ऐसों को जिनको देश की जनता से, देश की भुखमरी से, देश के गरीबों से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। अब आप शिकायत करते घूमते हैं, बड़े जोरों से आप कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने, फलां फलां ने एफिशियंसी के ऊपर सारे चुनाव किए। वाह रे आपकी एफिशियेंसी कि 30 सालों से बैस्ट ब्रेन आपने चुन कर दिया और देश को वर्स्ट स्थिति में ला कर उसने पहुंचा दिया। यह है आपकी एफिशियंसी का नतीजा। क्या माने हैं आपकी एफिशियेंसी के। एफिशियेंसी के माने होंगे ? क्या इस कथित एफिशियेंसी ने देश को ऊपर उठाया है ? बिलकुल ही कण्डम कर दिया है। इसलिए स्थिति आज की यह है। ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यह अंग्रेजी क्यों है ? इस का एक खास कारण है। इसका कारण है ब्यूरोक्रेसी। पार्टियां नहीं हैं, प्रदेश नहीं हैं, भाषाओं का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि नौकरशाही डा० लोहिया के शब्दों में उस चोर भाषा को कायम रखना चाहती है जिससे आम जनता उससे दूर रहे। क्या मुश्किल थी. बड़े सवाल उठते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं मेरी उम्र 71 वर्ष की हो गई है। पिछले 17 महीने मे जब जेल में था उस वक्त मुझे भाषाओं को सीखने का लालच लगा। केवल यह देखने के लिए कि भाषा कैसे सीखी जाती है। आपको ताज्जुब होगा और मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि 17

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

महीनों के अन्दर मैंने एक नहीं पांच भाषाएं सीखीं। मराठी, बंगला, गुजराती, फारसी और थोड़ी बहुत अरबी भी। मेरी चले तो . . . मैं आपसे माफी मांगता हूं (*Interruption*) मेरे बोलने में आप डिसटर्ब न करें। मैं जानता हूं (*Interruption*) थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन क्षमा कीजिए मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आपकी समझ के बाहर हो तो बाहर चले जायें। आपसे यही कहना है। माननीय त्रिपाठी जी बैठें हुए हैं वे मेरे से सहमत होंगे। मेरी चले तो मैं हर पार्लियामेंट के मैम्बर के लिए यह नियम बना दूं कि पांच साल के अन्दर अपनी भाषा के अलावा तीन प्रादेशिक भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। यह भी मेरी चले तो 10 वर्ष के बाद वही आदमी मैम्बर पार्लियामेंट चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो बन सकता है जो कम से कम अपनी भाषा के अलावा तीन भाषाएं और जानता हो और बोल सकता हो। मैंने यह देख लिया कि अगर 17 महीने मैं और जेल में रहता तो मराठी, बंगला आदि भाषाएं मैं जेल से बोलता हुआ निकलता। अब मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ अवश्य सकता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो बहाना रचा गया वह केवल एक मकसद से रचा गया कि नौकरशाही उस दौलत को जो शासन की सत्ता पर बैठी हुई है उसको आम जनता के पास जाने नहीं देना चाहती और तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह की झूठी बातें फैला करके उसको कायम रखना चाहती है। पब्लिक स्कूलों से लड़के निकलते हैं और उनका इंटरव्यू लेने वाले भी वही पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुये रिटायर्ड लोग होते है। आप जानते है कि उनकी मैंटलिटी क्या होती है और किस रूप में वे इंटरव्यू लेते हैं किस तरह का उनका सलेक्शन होता है। कभी भी यह नौकरशाही जनता की नुमाइंदगी नहीं कर सकती और यह 10 प्रतिशत वर्ग को रेप्रेजेंट करने वाली नौकरशाही कभी देश को ऊपर नहीं उठा सकती। एक तो स्थिति यह है। दूसरी अब कुछ लोग . . . (*Interruption*) मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैंने कह दिया कि 30 साल से कांग्रेस के पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं थी।

श्री कल्प नाथ राय : (उत्तर प्रदेश) आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए . . . (*Interruption*)

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं थी . . .

श्री कल्प नाथ राय : यह रिपोर्ट पर बोल रहे है? . . .

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मैं रिपोर्ट पर बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं न तो कांग्रेस के पास कोई नीति थी न ही जनता पार्टी के पास कोई राष्ट्रीय नीति है। आजादी आने के बाद कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ गया। कांस्टीट्यूशन के हिसाब से पिछड़े वर्ग कमिशन स्थापित हुआ। 2 साल उसकी जांच में लगा। लेकिन स्वनाम धन्य पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने उसको इतनी गहराई से गाड़ा कि वह आज तक कभी नहीं उठ सकी और जनता पार्टी भी उसको ऊपर निकालने में असमर्थ हो रही है, और वहीं पर सारी राष्ट्रीय नीति जो गड़ी तो उसने सांस नहीं ली और आज भी वह गड़ती गयी है उसी तरह से। अब इधर कुछ लोग उससे परेशान होकर कुछ गलत नारे दे रहे हैं। आप गलत नारों के पीछे अपनी दूषित भावना को छिपा नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नाम के सामने से ब्राह्मण, तिवारी, पांडे फलां, फलां हटा दो बस काम चल जाएगा। परन्तु इसके माने है कि थोड़ी बहुत जो रोशनी है उसको

गुल कर दो और अंधेरे में खूब मजे से लूटो ।

श्री कल्प नाथ राय : यह चौधरी चरणसिंह का कहना है ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : किसी का भी कहना हो मैं किसी का नाम नहीं लेता, यह बहुत धोखे की चीज है । एक दूसरा धोखे का नारा चल रहा है अभी हमारे एक मित्र ने कहा आर्थिक पिछड़ापन चला अब इसको आर्थिक पिछड़ापन कह दें यह एक दूसरा धोखा है क्यों ? आप आर्थिक पिछड़ापन किसको कहते हैं । इस देश का सारा धरातल ही आर्थिक और सामाजिक, सब एक दूसरे से मिला हुआ है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं । एक दो टाटा बिड़ला के हो जाने से न हिन्दुस्तान धनी देश कहला सकता है न एक जगजीवन राम के मिनिस्टर हो जाने से हरिजन कम्यूनिटी धनी हो जायेगी । सारी हरिजन कम्यूनिटी आम तौर से मजदूर है । सारे पिछड़े वर्गों के लोग जो एग्रीकल्चरिस्टस हैं । आम तौर पर से पिछड़े वर्गों में हैं और सारे बनिये बिजनेसमैन सारे कायस्थ सरकारी नौकरियों में हैं । आप क्या चाहते हैं । किसको चाहते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आर्थिक और सामाजिक वैमनस्य के विभाजन को आप कैसे अलग कर सकते हैं । इसीलिए आप आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो उनको मिलने वाला है वह भी विलय हो जाए । मैं एक मिसाल देता हूं इससे पहले उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को थोड़ी बहुत स्कालरशिप मिल जाती थी । नीति हो गई आर्थिक पिछड़ेपन की और नतीजा हुआ कि एक भी स्कालरशिप इन बेचारों के लिए नहीं रह गई और अपर वर्ग के लोगों को आर्थिक पिछड़ेपन के नाम पर स्कालरशिप पहुंच गयी । आर्थिक पिछड़ापन यह धोखे की दूसरी टट्टी है । मैं आपसे कह रहा था मुगालतों के अन्दर, धोखे के अन्दर आप देश को नहीं चला सकते और यह कोई भीख का सवाल नहीं है, यह सवाल देश के उत्थान का, देश के भविष्य का । आप इस बात को भूल नहीं सकते कि जनतंत्र अगर आपको चलाना है और देश के अन्दर स्वराज की प्रतिष्ठा करनी है तो 90 फीसदी आदमियों को प्रशासन से दूर रख कर केवल 10 फीसदी चुने हुये लोगों से आप सारे प्रशासन की सत्ता स्थापित कर देश में न स्वराज स्थापित कर सकते हैं न जनता को राहत पहुंचा सकते हैं । जिनको आपने बागडोर दी है वे फर्स्ट और सेकन्ड क्लास के आफिसर है और उनका 80-90 प्रतिशत गांव की जनता से कोई ताल्लुक नहीं है । वे देश को उठायेंगे जिनके दिल में दर्द नहीं है उस गरीब जनता के लिए, जिसके दिल मे तारतम्य नहीं, जिसके दिल में तड़प नही है उनको उठाने के लिए ? आप उससे चाहते है कि वे देश को उठायें और देश की जनता को रास्ता दिखायें । कभी यह हरगिज सम्भव नहीं है । इसलिए मैं संक्षेप में आपके सामने रख देता हूं कि करना क्या है ? करना यह है कि अगर आपने इस राष्ट्र के निर्माण को और जनतंत्र को अपने सामने रखा है तो साफ तौर पर उनके अनुसार आपको अपनी सरकारी प्रशासनिक मशीन को बनाना होगा, अगर देश का निर्माण दिमाग में नहीं है, अगर देश का जनतंत्र दिमाग में नहीं है तो जो आप चाहे अंधी लकड़ी चलायें लेकिन अगर यह चीज आपके सामने है तो इस प्रशासन की मशीन को उसी रूप में ढालना होगा और उनको मैं ठोस रूप में आपके सामने रख रहा हूं । बात यह है कि चुनाव करने वाला जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 80 फीसदी आदमी उन दबे, गिरे, पिछड़ी अनुसूचित जातियों के होने चाहियें *(Time bell rings)* . . . और दूसरी नौकरियों में 60 फीसदी पिछड़े क्लास के लिए रिजर्व हों, 20 फीसदी अनुसूचित और 10 प्रतिशत माइनरिटीज के लिए रिजर्व हों । कुछ

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

लोगों का कहना है कि शायद इससे कास्टीट्यूशन के हिसाब से उतना रिजर्वेशन नही हो सकता, तो उसका दूसरा रास्ता है । आप अपर क्लास कहे जाने वाले वर्गों को 10 प्रतिशत सीमित कर दीजिए, बाकी 90 फीसदी नौकरियों को अन्य लोगों के लिए फिक्स कर दीजिए—बात साफ हो गई । अगर आपको देश की चाह है तो उन पिछड़े वर्गों को, उन दबे वर्गों को शासन और प्रशासन के काम मे हाथ बंटाने के लिए 80 प्रतिशत नौकरी देनी पड़ेगी । अगर आप को इस देश को गुलामी के चक्र में पीसना है और अगर आप नारेबाजी के अन्दर देश का शासन चलाना चाहते है तो बहुत जल्द इसके भयंकर परिणाम आपके सामने आयेंगे । ऐसे लोग जो कहने को बड़ी बातें गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए किया करते है, बहुत नारे दिया करते है . .

THE VICE CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Varma, you will have to wind up now.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : बस खत्म कर रहा हूं । जब उस पर अमल करने की बात आती है तो इस तरह की चालबाजियां चलाते है, बात भी नही सुनना चाहते हैं। मैं यह कह रहा हू कि देश का निर्माण अगर आपके सामने है तो वायदे को पूरा करना होगा । अगर इजराइल सारे संघर्ष में रहते हुए 25 साल के अन्दर सारी दुनियां के सामने अपने को खड़ा कर सकता है, अगर जापान ध्वस्त होकर भी 30 साल में दुनियां का सिरमौर बन सकता है, अगर जर्मनी एक बार बर्बाद होकर फिर दुनिया के सामने आगे आ सकता है तो हिन्दुस्तान में क्या कमी है ? क्या आपका देश नही बन सकता है उसी तरह ? आपके अन्दर बनाने की तमन्ना नही है । आपने अपनी नौकरशाही जो बना रखी है, वो इस देश को कभी उठने नहीं देगी। इसलिए अगर आपको इस देश को उठाना है तो इस नौकरशाही के ढांचे को आमूल चूल बदलना है और इसका यह रास्ता है जो मैंने आपके सामने निवेदन किया है । मै जानता हूं, जनता सरकार भी उस हद तक जाने के लिए तैयार नही है: मुझे मालूम है कि अन्दर-अन्दर ये सारी चीजें चल रही हैं लेकिन वोट कैचिंग डिवाइस से चाहे कांग्रेसियों की सरकार हो चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, वह चलने वाली नहीं है । इसलिए मै सुझाव करता हू कि सरकार को चाहिये कि उसने अपने मैनीफैस्टो मे जो वायदा किया है अगर उससे सवा ज्यादा न करें तो उससे एक इंच कम करने की कोशिश भी मत कीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Naik.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, on a point of information. With regard to the bottom paragraph at page 41 which continues at the top of page 42 which deals with promotions and confirmations from State Services, may I know to what extent the Scheduled Castes and Scheduled Tribes been benefited in this long process of never ending filtering which is some sort of an obstacle race in the States?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The Minister will probably reply to it when he answers to it tomorrow. Yes, Mr. Naik.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I would like to thank you very much for giving me this opportunity to speak on a vital subject, like the Union Public Service Commission's report. Of course, it was not possible for me to get the Report well ahead of the time I am speaking. Only two hours back I was able to get the Report, and after foregoing my lunch I had the occasion to scan through it and after going through it I must at the outset say that the Public Service Commission's Report is about the facts which have taken place about

two years back. Of course, why there has been such a delay I do not understand. The Public Service Commission which is incharge of recruitment of the people to man the Indian Services and Subordinate Services should not have made such an inordinate delay in submitting its report. I, therefore, request the hon. Minister to first apply his mind why there has been such a long delay in giving this Report.

Now, Sir, I have gone through the Report and what I have observed is that the Report, as my friends have already spoken, is not based on any national policy of recruitment framed either by this Janata Government or the previous Government. Of course, the policy of recruitment is a very vital issue in the life of any nation. You must have heard that in France every six months the Ministry falls. But if one were to see the type of administration that is obtainable in that country, one would be very happy to know that it is based on a very very sound basis. Such a national policy would be necessary in our country and I am glad that some of my friends have stressed that issue. I am in full agreement with that.

After going through the report, I have observed that the Public Service Commission has endeavoured to give some concessions to recruit people coming from the rural areas and also to see that as far as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned, the quota reserved for them is completely fulfilled. These are two important things and I would like to congratulate the Public Service Commission on their anxiety. However, I want to bring to the notice of the hon'ble Minister that recently the Parliament passed a very important legislation called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Act, 1976. This Act was passed in September, 1976 and it has been recently enforced from 27th July, 1977. By this Act, what has been brought about is that the area restrictions have been removed as far as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned. In a State one community was treated as a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe in one part, but not so in the other parts. The result was that people of same communities used to undergo a lot of suffering in the matter of recruitment and other concessions. But, fortunately for these communities, such a distinction has been removed as a result of this Act of 1976. The result is that as many as 7 million people have been added to the population of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Therefore, it would be necessary to increase the reserved quota for the Scheduled Castes. This may kindly be noted by the hon'ble Minister. This is one thing.

Another thing that I would like to say is that one of the hon'ble Members has very ably spoken about the Kaka Kalelkar's Backward Classes Commission Report. Of course, that report was submitted long back in 1955. But why it was not implemented, it is not possible for me to tell you precisely at this stage. However, that report endeavoured to identify the backwardness in this country. In fact, many of the backward classes had entertained the hope that they would at least be identified for the purpose of certain concessions, for the purpose of recruitment etc. The recommendations of the Commission have come to be shelved with the result that there are a large number of people in this country who are really backward—other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes—who have not been able to reach the stage as envisaged by our Constitution under Art. 15(4) and Art. 16(4). These Articles are meant to bring about advancement of such backward classes—educationally and socially backward classes.

As one of our friends rightly said, it is not economic backwardness but it is only educational and social backwardness. This is a very important point in the life of this country. It is these people who have been identified. But since Kaka Kalelkar's recommendations have been shelved no attempt has been made since then to identify these people. However, I must say that several States have

[Shri L. R. Naik]

attempted to identify these classes. For instance, in my own State of Karnataka we had the Backward Classes Commission headed by Shri L. G. Havanur, a Member of our House. He had given his report. Similarly, we have reports from Andhra, from Kerala, from Tamil Nadu and from Kashmir. All these reports have given who the backward classes are and they have been recognised by the States as backward classes and have been listed as such. Sir, I would like to request the hon'ble Minister to take into consideration the listed backward classes for purposes of recruitment and give necessary directive to the Public Service Commissions to take into consideration the candidates from such backward classes for purpose of services.

Sir, we find in the report that the Commission has endeavoured to give bias to the rural people. All these backward classes are rural people. They are not only rural but people who have in jungles, far away from towns and cities eking out their existence. They are non-entity. They have very little education to their credit. They are unlettered. And if the Government were to be convinced that some concessions must be shown to these people it would go a long way to bring about the desired effect in the matter of services of this country.

Every Indian must feel that he belongs to this nation, that his son or his daughter, if properly educated, can go to very high positions in this country. That sort of feeling has to be inculcated. Of course, for this purpose a national policy is necessary, it is imperative. This has been the policy in other Western countries. Then why should not be there in our own country? I am sorry to say that some of our sagacious people, intelligent people, the so-called advanced class people have managed to see that such a thing does not take place in this country. Therefore, this feeling has to be overcome I, therefore, urge the hon'ble Minister to take these facts into consideration in matters of recruitment to services.

Sir, there is another class of people who deserve sympathetic consideration and help of the Government. They are the denotified tribes. As you know, there were some decent people in the past who used to have several kinds of trades, several kinds of industries. But the foreign Government being jealous of their prosperity managed to see that they lost their trades. They were driven to ruination with the result that they became poor. When they became poor they had to do lots of unquestionable things in life including small petty thefts and things like that. Ultimately they were notified as criminals. The result was that it was not the individual that was considered as a thief or a *gunehgar* but his whole caste was considered *gunehgar* and it was notified as such. Every member of that caste was to appear every day before the police for a roll call. Now, fortunately, for us with Mahatma Gandhi's efforts and men like him this obnoxious law has now come to be abolished. In

5 P.M. other words, they have been denotified. But mere denotification will not do. There is a record to the effect as to who all these classes are. So, all these denotified persons or castes should also have concessions in matters of recruitment. Such a concession has been given by many States. Karnataka is one of them; Maharashtra is one of them; Andhra is one of them. Then why not the Union Public Service Commission and the Central Government? All these things have to be done to see that every Indian in this country feels that he belongs to this country and an attempt on those lines has to be made.

With these few words, Sir, I have done.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर हम लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहली बात

मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि यह जो कमीशन है इस कमीशन का कंपोजीशन आजाद भारत के पूर्व जिस तरह से होता हैं। ठीक उसी तरह से आज भी उसका कंपोजीशन होता आ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को देखें कि इसके कंपोजीशन को हमको चेंज करना है या नहीं। अगर चेंज करना है तो क्यों करना है। हम ऐसा समझते हैं कि आज की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंपोजीशन है, जिस तरह का बना हुआ है, जो इसके रेक्रूटमेंट का मैथड है, परीक्षाओं का जो तरीका है आज इस आजाद भारत में उसकी उपयोगिता नहीं है। हम आजाद हिन्दुस्तान में रह रहे हैं। कमीशन का जिस तरह का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था ठीक उसी तरह से आज भी हो रहा है। लकीर के फकीर की तरह इस कमीशन का कंपोजीशन होता आया है। आज हमको इस देश के निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, थिंकर्स की जरूरत है, प्लानर्स की जरूरत है। हमे ऐसे रेक्रूट्स चाहिये जो प्लानर्स हों, थिंकर्स हों। जो प्लानिंग की बात कर सकें, जो थिंक कर सकें और जो देश के विकास में सहयोग कर सकें। ऐसे लोगों के रेक्रूटमेंट्स की जरूरत नहीं है जो लम्बी-लम्बी तनख्वाह लेकर कागज और फाइलों को टटोलते रहे और दस्तखत मारते रहे। दो हजार दस्तखत किये और घर चले गये, बीबी-बच्चों के पास जाकर बैठ गये। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है विकास के कामों को देखने की, आज जरूरत है प्लानिंग की बात सोचने की। आज जरूरत है, थिंक करने की कि देश का विकास कैसे हो सकता है। हमारी वेलफेयर स्टेट में ऐसे लोग चाहिये जो शासन कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। इन बातों को मद्देनजर रख कर आज आवश्यकता इस बात की है कि यह जो कंपोजीशन है इसमें चेंज करें। अब आपको सोचना है कि कैसे करे।

जो रिटायर्ड अफसर होते हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले होते हैं, उनको इसमें भर लिया जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो नदियों के किनारे तक कभी नहीं गये होंगे, जंगलों में कभी नहीं गये होंगे बल्कि यूनिवर्सिटी में बैठकर लाइब्रेरी से किताबें ले कर उनको पढ़ कर बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले ली और कमीशन में चले गये। वहां जाकर रेक्रूटमेंट में सिफारिश कर दी। सिफारिश भी किन की? जो मिनिस्टर होते हैं उनके भेजे हुये लोगों की सिफारिश करते हैं। योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि सिफारिश के आधार पर इस कमीशन का गठन हुआ है। इसमें वे ही लोग आते हैं जो रिटायर हैं या पब्लिक स्कूलों से पढ़ कर आये हैं। आज इस बात की जरूरत है कि सारे कमीशन की कंपोजीशन को खत्म किया जाए और नये सिरे से अच्छे लोगों को, जिनका ज्ञान देहात से हो, जिसने अपने पब्लिक जीवन को जनजीवन के साथ जोड़ा हो, जिसका पब्लिक जीवन स्ट्रगल से गुजरा हो, ऐसे लोगों को लेकर कमीशन का निर्माण किया जाना चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि प्रान्तों के अन्दर जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उन में कुछ परिवर्तन हुआ है। मैं चाहूंगा कि इन कमीशनों में आप शेडयूल्ड कास्ट के लोगों को रखिए, शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखिये और बैकवर्ड क्लासेज, माइनोरिटीज तथा मुसलमानों तथा क्रिश्चयनों को इनका मेम्बर बनाइये। आप इस बात को सोचिए कि अंग्रेजों के जमाने में जो लोग नौकरियों में होते थे वे गुलछर्रे उड़ाया करते थे और उन्हीं लोगों के लिए सारी सुविधायें होती थीं। आज भी हमारे देश में वही स्थिति चल रही है। ऊंची जाति के लोग ही नौकरियां प्राप्त करते हैं। आज भी सर्विसेज मे इन्हीं लोगों का बोल-

[श्री रामानन्द यादव]

वाला है। यही लोग हैं जो देश के प्रगतिशील कदमों मे बाधा पहुंचाते रहते है, सबोटेज करते है और विकास के कामों को रोकते है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपोजीशन मे परिवर्तन लाने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके अन्दर एक बैकवर्ड क्लासेज का मेम्बर हो, एक मेम्बर मुसलमान हो और एक मेम्बर आदिवासी हो, एवं एक मुसलमान हो।

श्री कल्पनाथ राय : एक महिला भी मेम्बर होनी चाहिये।

श्री रामानन्द यादव : महिला भी इसकी मेम्बर हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह रहा था कि हम लोगों की यह शिकायत है कि पिछड़ी जातियों को इसमें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के बच्चे जो पढ़कर आते है और अच्छी डिग्री लेकर पास होते हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। वे नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते है। उनको छोटी नौकरियां भी नहीं मिल पाती है। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो या प्रान्तीय सरकार हो, सर्विसेज के अन्दर ऊंची जाति के लोगों का ही दोमिनेशन है। पिछड़ी जाति के लोगों की यह फीलिंग है कि रेक्रूटमेंट के अन्दर उन लोगों को नहीं लिया जाता है।

मैं समझता हूं कि इस फीलिंग से हम लोगों ने बहुत बड़ा सबक सीखा है और आपको भी सबक सखी ने की आवश्यकता है अगर आप इन बातों से सबक नहीं सीखेंगे तो इतिहास आपको कभी नही भूलेगा। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम लीग की मांग पर बन गया? इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और इस जिम्मेदारी से हम नहीं बच सकते है। हिन्दुंस्तान का डिविजन क्यों हुआ, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अभी हमारे मुसलमान भाई बोल रहे थे तो वे अपने हृदय की बात कह रहे थे। हमें उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जब वर्मा जी बोल रहे थे तो अपने हृदय की बात कह रहे थे। जब तक इस देश के 80 फीसदी लोगों को प्रशासन मे स्थान नही दिया जाएगा तब तक इस देश का विकास नही हो सकता और यहां पर स्टेबिलिटी नही आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि कमीशन के कम्पोजिशन मे चेन्ज लाया जाय और उसमें बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन स्थापित किया जाय तथा उनके बच्चों को नौकरियों में 90 फीसदी जगह सुरक्षित की जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो रिजर्वेशन किया हुआ है उसको कोई न कोई बहाना बना करके जगह खाली रखी जाती है और यह कहा जाता है कि इन वर्गों के लोग उपलब्ध नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऊंची जाति वालों को ये नौकरियां मिल जाती है। मेरा कहना यह है कि इन वर्गो के लिए जो कोटा निश्चित किया गया है उसको इन्ही वर्गो में से भरा जाना चाहिए।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आप जानते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं, इसलिए हमें रूरल एरियाज की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है अभी क्या स्थिति है कि यू०पी०एस०सी० में परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी भाषा है। इसके विपरीत हिन्दी भाषी प्रान्तों में लड़कों को हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। सारी पढ़ाई उनकी हिन्दी के माध्यम से होती है। कमीशन की परीक्षाएं अंग्रेजी में होती है,

इसलिए हिन्दी भाषी प्रान्तों के कन्डीडेट्स के लिए यह एक परेशानी का प्रश्न हो गया है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि साहब आप और भाषाओं को तो फिलहाल छोड़ दीजिये परन्तु कम से कम हिन्दी में जो कि 5–7 प्रान्तों में बोली जाती है––यू०पी०, बिहार, मध्य प्रदेश––ऐसे प्रान्त हैं जहां काफी हिन्दी बोली जाती है और इन प्रान्तों में एम०ए० तक की शिक्षा हिन्दी में दी जाती है। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें अंग्रेजी मे होती है। इसके कारण हमारे विद्यार्थी कम्पीटीशन में नही आ पाते है। ऐसी हालत मे मैं चाहूगा कि यदि सभी रीजनल भाषाओं मे नही तो कम से कम हिन्दी मे परीक्षा लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह बडी यूजफुल रिपोर्ट थी। उसे मैंने अभी देखा था। उसकी एक प्रति मैंने पहले भी मंगाई थी। तो मेरा निवेदन है कि काका कालेलकर ने पिछडी जातियों के सम्बन्ध में जो अपनी रिपोर्ट सर्विसेज के सम्बन्ध में दी है, उस पर अमल होना चाहिए। काका कालेलकर की जो रिकमन्डेशंस हैं, उनको निकाल कर हमारे जो मिनिस्टर है वह देखे कि सर्विसेज के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिये है और उसको आप इम्प्लीमेन्ट करने की चेष्टा करें। इससे देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि कमीशन का जो विज्ञापन होता है उसकी काफी पब्लिसिटी नहीं हो पाती है। बड़े-बड़े अखबारों में ये एडवरटिजमेंट होते हैं। परन्तु ये सभी अखबारों और सभी भाषाओं के अखबारो में पब्लिश नहीं होते हैं। इसलिये जो रूरल एरिया के रहने वाले लोग हैं उनको इसका पता ही नहीं चलता और जिसके कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाते। इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पब्लिसिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि जो देहात मे रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर्स में रहने वाले लोग है उन्हे इस बारे में मालूम हो सके और वह इन परीक्षाओं में बैठ सकें। इसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारा मैथड आफ रिक्रूटमेन्ट है, उसमें चेंज किया जाना चाहिए। वही पुराना रिक्रूटमेन्ट का तरीका अभी भी चला आ रहा है इसमे आपको परिवर्तन लाना चाहिए। आज भी जो सर्विस कमीशन में बैठते है रिक्रूटमेन्ट के समय क्या देखते है? वह देखते हैं कि उसकी बड़ी डिग्री है या नहीं, वह अच्छे कालेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है या नही, अच्छे खानदान से है या नहीं, पर्सनलिटी अच्छी है या नही, अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है या नहीं। यह सब रिक्रूटमेन्ट में देखा जाता है। इसको आपको बदलना होगा। क्योंकि यह बात स्वयंसिद्ध है कि किसी व्यक्ति की भी भोजन के अभाव में अच्छी पर्सनलिटी नही बन सकती। हमारी पढ़ाई देहात में हुई है, मैं देहात के राजेन्द्र कालेज या दूसरे कालेज से आता हू। आजकल डिग्री पाने का क्या तरीका है। जो लोग ऊपर बैठे हैं, बडे पदों पर हैं उसका बेटा निश्चित रूप से इंजीनियर हो जायेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Yadav, you will have to wind up.

श्री रामानन्द यादव : जो आदमी आज बड़ी नौकरियों में है, सेक्रेटरी है, अन्डर सेक्रेटरी है, डाइरेक्टर है अथवा डिप्टी डाइरेक्टर है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पीटीशन में आकर सफल हो जाता है परन्तु मेरा बेटा, जो गाव में रहता है, मैं अपने बच्चे को किसी तरह यूनिवर्सिटी मे पढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसके लिये 100 प्रतिशत दिक्कतें हैं, इस परीक्षा को पास करने में। तो आपको यह जो मैथड आफ रिक्रूटमेन्ट है, इसको बदलना

[श्री रामानन्द यादव]

होगा, इसमें परिवर्तन करना होगा। आप इसमें परिवर्तन लाइये। अभी ठीक ही कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने भी इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं की, आप इसको करें। श्री दण्डवते जी चले गये। यहां और भी लोहिया जी के समर्थक होंगे। लोहिया जी ने कहा था कि अगर इस देश का कल्याण करना है तो पिछड़ी जातियों को 60 प्रतिशत रिजर्वेशन दो। उनकी दिली इच्छा थी कि यह हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस जनता सरकार में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोहिया जी के अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे कम से कम वहां रह करके जो लोहिया जी का सपना था, उस सपने को साकार करने की कोशिश करें और कम से कम 60 प्रतिशत सर्विसेज में पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वेशन की गुंजाइश करने की कोशिश करें।

THE VICE-CHAIRMAN (Shri U. K. Lakshmana Gowda): Mr. Yadav, it is getting late. There are other speakers. Please sit down.

श्री रामानन्द यादव: मैं इतना ही सरकार से आग्रह करूंगा कि पिछड़ी जातियों को, हरिजनों को, आदिवासियों को, मुसलमानों और औरतों को इग्नोर करके शासन नहीं चला सकेंगे और देश का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनको इग्नोर मत कीजिये। मुझे मालूम है बहुत से मित्रों को यह बुरा लगता होगा। लेकिन एक चरण सिंह पैदा हुआ है तो इतनी अधिक गर्मी हो रही है। अगर यही रुख रहा तो इस देश में हजारों चरण सिंह पैदा होंगे क्योंकि आपके इसी एटीट्यूड से कायदे आजम जिन्ना साहब पैदा हुए और इसी एटीट्यूड से आपने चरण सिंह को पैदा किया है। अगर यही एटीट्यूड रहा तो अनेकों चरण सिंह देश में होंगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा।

श्री सुजान सिंह (हरियाणा): मान्यवर, आज अगर यह कहा जाये कि बैलेट के अन्दर कोई हेरा-फेरी है और पब्लिक शक करने लग जाये तो ऐसा चुनाव अर्थहीन है। इसलिए पब्लिक का विश्वास जरूरी है। किस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों का विश्वास हो इसे देखना भी जरूरी है। इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास चार किस्म की क्वालीफिकेशंस होना जरूरी है। पब्लिक सर्विस कमीशन में आनेस्टी होनी चाहिए। सिर्फ आनेस्टी ही काफी नहीं है बल्कि आनेस्टी का इम्परेशन डालना जरूरी है। अभी कुछ स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे मे पता चला था कि वे आनेस्टी में थोड़े से नीचे हैं और इस आनेस्टी के न होने के कारण लोगों के दिलों में शक हो जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन चुनाव ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आनेस्टी होना जरूरी है। आनेस्टी के लिए यू०पी०एस०सी० सारे स्टेट्स के अन्दर जा कर राय कायम करे और देखे कि लोगों के विचार क्या हैं अगर यह मालूम हो जाए कि किसी मेम्बर की आनेस्टी डाउटफुल है तो यू०पी०एस०सी० के द्वारा अपनी यूनेनीमसली राय प्रकट करके उस मेम्बर को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। यह अथार्टी रिमूव करने के लिए केवल यूनेनीमसली राय के आधार पर ही दी जानी चाहिए।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह है इंडीपेंडेंस के बारे में। जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन्स इंडीपेंडेंट नहीं हैं वे भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। तो इंडीपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि उनके मेम्बरों की पूरी प्रोटैक्शन हो। हमने यह देखा है और हमारा तजरबा है कि किसी स्टेट के अन्दर चीफ मिनिस्टर ने चेयरमैन के पर झूठे केस बनाने की कोशिश की और

इस तरह से उसको नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश हुई। इससे विश्वास उठता है। इसलिए गवर्नमेंट से उसको प्रोटैक्ट किया जाना चाहिए। प्रोटैक्शन के लिए यह भी जरूरी है कि मेम्बरों की प्रोमोशन जो होती है वह भी बाई सीनियर्टी हो, बाई सेलेक्शन न हो। चेयरमैन बनाने के लिए मेम्बर्स में से ही बाई सीनियर्टी का आधार होना चाहिए और गवर्नमेन्ट का हाथ उसमें नहीं आना चाहिए। अगर गवर्नमेन्ट का हाथ होगा और किसी को बाहर से लाना होगा तो यह हो सकता है कि वह मेम्बर गवर्नमेंट की खुशामद करने के लिए उनकी बातों को माने। इसलिए गवर्नमेंट से किस तरह से इंडीपेंडेंट किया जा सकता है इसके बारे में भी कार्यवाही करनी चाहिए।

तीसरी बात है क्वालीफिकेशंस के संबंध में। मेम्बर की क्वालीफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट होना या ऐज के अन्दर आ जाना ही काफी नहीं है। एक ग्रेजुएट होना आज के माडर्न जमाने के अन्दर काफी नहीं समझा जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेम्बरों के लिए क्वालीफिकेशन और ज्यादा इलेबोरेट कर दी जाय ताकि चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिन लोगों को चुनती हैं उनके हाथ और टाइट हो जायें वह खुल्लम-खुल्ला अपनी मर्जी ज्यादा न कर सकें और इनका दायरा कम होता जाय मनमानी करने का। मिसाल के तौर पर अगर एक मेम्बर चुनना है तो उसका तजुर्बा, उसकी लियाकत, उसकी आनेस्टी, और और चीजों को देखकर ही उसे मेम्बर चुना जाय न कि सिर्फ यह कि वह ग्रेजुएट है, उसकी यह क्वालीफिकेशन है और एज है, अतः उसको चुन लिया। जो मेम्बर चुने गये हैं वह ऐसे न हों कि अगर वह क्लर्क के लिए भी यू०पी०एस०सी० के सामने पेश हो जांय तो वह स्वयं क्लर्क न बन सकें।

इसके बाद अडाप्शन आफ टैक्निकल मेम्बर्स का सिस्टम है। उसके अंदर एक पैनल तैयार किया जाय। हर बोर्ड का एक पैनल होना चाहिए जो देश के या स्टेट्स के बड़े मशहूर और मारुफ व्यक्तियों का हो जिनकी काबलियत पर आंच न हो, और वह टर्न बाई टर्न, लाटरी सिस्टम से या और किसी सिस्टम से उनको इन्वाईट किया जाय और जिस किस्म की जाब एडवरटाइज हुई है उसके अंदर वह, बाई लाटरी सिस्टम या किसी और ठीक ढंग से बैठ सके।

कम्पोजीशन आफ दी सर्विस कमीशन के अंदर यह जरूरी होना चाहिए कि अगर 8 मेम्बर चुने जाने हैं तो हर वाक आफ लाईफ के चुने जाएं यह नहीं कि सारे पालीटिशियन भर्ती किये जाएं, या सारे मिलिटरी के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भर्ती किये जाएं। हर वाक आफ लाईफ का मेम्बर होना चाहिए और मैं इसलिए यह कहता हूं कि उसके अंदर एक मुसलमान हो, एक सिक्ख हो या एक ईसाई हो यह सिस्टम बिल्कुल गलत है। मुसलमान, सिक्ख या ईसाई जरूरी नहीं है। अगर हम काबलियत के आधार पर कैन्डीडेट चुनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमीशन के मेम्बर को सिर्फ काबलियत से इरिस्पेक्टिव आफ रिलीजन चुना जाना चाहिए। हां, यह जरूरी है कि डिफरेंट प्रोफेशन के मेम्बर होने चाहिएं न कि डिफरेंट कम्यनिटी के।

आगे कई कमिशन मेम्बरों ने यह लिखा है, जो रिपोर्ट है कि हमें स्टेटस ज्यादा मिलना चाहिए। अगर स्टेटस कम है, समझा जाय कि कम है तो स्टेटस बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ मेम्बरों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगा देना चाहिए और वह रेस्ट्रिक्शन ऐसा हो जिसके लगने से उनकी इन्डिपेंडेंट बढ़े। मिसाल के तौर पर जब किसी कमीशन का मेम्बर रिटायर हो तो वह पालीटिक्स में न आ सके, पालिटिक्स से उसे बाहर कर दिया जाय। अपने सर्विस के टेन्योर के अंदर डिफरेंट लोगों को फेवर करने की या अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों का फेवर करके यदि उसमें इलेक्शन लड़ें

[श्री सुजान सिंह]

की ख्वाहिश हो तो वह निष्पक्ष नही रह सकता। अगर इनकी कोई इच्छा है गवर्नर बनने की या कोई मिनिस्टर बनने की तो इनके आगे के यह सारे के सारे इम्प्लायमेंट के दरवाजे बद होने चाहिए और इनको सही तौर पर रिटायर कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा कुछ थोड़ी सी ड्यूटी सर्विस कमीशन को और दी जानी चाहिए। जिन लोगो को यह चुनते है तो चुनने के बाद सर्विस कमीशन खुद देख लिया करे कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मिसाल के तौर पर आई०ए०एस० के कैडर मे परसेंटेज ज्यादा है। लोग जो चुने जाते है तो चुने जाने के बाद कोई हरियाणा का है तो मद्रास के अंदर उसका मद्रास का कैडर बन जाता है और दूसरा जो हरियाणा का रहने वाला है वह हरियाणा मे ही है। इस प्रकार एक हरियाणा का कैडर बन जाता है और दूसरा मद्रास का तो आप खुद ही देखिए कि इन दोनो के अंदर कितनी डिस्पेरिटी हो जाती है। एक यहां अपने घर मे बैठा है दूसरा मद्रास में बैठा है, जिसे साल में तीन-चार दफे घर आना पडे, बीमारी हो, शादी हो या कोई और बात हो, तो उसमें तकलीफ होती है और खर्चा होता है। इसलिए उनको कम्पनसेट करना चाहिए। उनके वास्ते जोन्स बनने चाहिएं। अगर ज़ोन बनना भी जरूरी न हो तो उनको ज्यादा इमोल्यूमेंट्स देकर, ज्यादा अलाउंसेज देकर उनकी तकलीफ को कम किया जा सकता है। इन सब बातों को सोच कर अपनी सर्विसेज़ के लोगों को इधर से उधर भेजा जाना चाहिए ताकि कैन्डीडेट्स को सेलेक्ट करने के बाद उनके साथ पूरा इन्साफ हो सके।

हरिजनों के मुताल्लिक एक बात और कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह ठीक किया है कि सर्विसेज़ मे रिजर्वेशन है हरिजनों के लिए लेकिन जब प्रमोशन का सवाल आता है तो वह रिजर्वेशन कायम नहीं रहता। पहली दफा जब हरिजन सेलेक्ट होता है तो उसकी एज तीन-चार साल ज्यादा होती है। इसका नतीजा यह होता है कि जब रिटायरमेंट नज़दीक होता है तो हायर जाब नही मिल पाता है। कभी एक हरिजन इंजीनियर, चीफ इंजीनियर नही बन सकता क्योंकि एज,ज्यादा हो जाती है और उसका कंपीटीशन सबसे होगा और इसलिए बडे से बडा जॉब पर हरिजन हो नही पाता। तो रिजर्वेशन के हिसाब में से 4 मे से एक हरिजन को बनाना है तो चौथे मे उसका नम्बर प्रमोशन मे आना चाहिए। आई० ए० एस० में प्रमोशन के वक्त भी उनके लिए रिजर्वेशन होना ज़रूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक-भाषा, लोक-भूषा, लोक-भोजन, लोक-भवन की घोषणा करके, चुनाव घोषणा पत्र को जारी करके जनता पार्टी सत्ता मे आई लेकिन जो जनता के दिल मे आशा के दिए जले थे वे अब बुझ रहे है, जो उनके मन मे आशा के अंकुर प्रस्फुटित हुए थे वे अब नष्ट हो रहे है। लोक भाषा के नाम पर केन्द्र मे सत्ता को प्राप्त करने वाली जनता सरकार को यह 26वीं रिपोर्ट अगरेजी मे है। मैं समझता हूं जनता पार्टी के 70 प्रतिशत संसद् सदस्य और बहुत से मन्त्री लोग शायद इस रिपोर्ट को नही समझ सकते हैं कि यह रिपोर्ट है क्या और यही हालत हमारी तरफ भी है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए है—टु सर्व द पीपुल आफ द कन्ट्री—और जब अंगरेज़ हिन्दुस्तान में आए तो अंग्रेजों ने जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई तो उसका उद्देश्य लार्ड मैकाले ने घोषित किया : वी मस्ट डू अवर वेस्ट। आदरणीय मन्त्री महोदय, ज़रा आप कृपा करके सुनें कि अंगरेजो ने अपनी नौकरशाही और पब्लिक सर्विस कमीशन का उद्देश्य घोषित किया था :

"We must do our best to form a class which may be the interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste and intellect."

"हिन्दुस्तान में अंगरेज़ी साम्राज्यवाद को सदा सदा के लिए कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हिन्दुस्तान में एक ऐसा क्लास बनाया जाए जो हमारी नौकरशाही का क्लास हो, जो हमारी भाषा के माध्यम से हिन्दुस्तान पर आने वाले दिनों में हुकूमत को कर सकें ।" यह लार्ड मैकाले ने अपने उद्देश्य को घोषित किया था । लेकिन लार्ड मैकाले की हुकूमत अंगरेजी साम्राज्यवाद जाने के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और आदरणीय जवाहरलाल जी ने जो राष्ट्र का लक्ष्य घोषित किया वह—राष्ट्र का लक्ष्य हिन्दुस्तान के संविधान के प्रिएम्बल में है, यानी—गवर्नमेंट फार द पीपुल, बाई द पीपुल एण्ड आफ द पीपुल ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : यह भी तो अंगरेजी में हो गया ।

श्री कल्प नाथ राय : यह बात ऐसी है जिसको आप समझ सकते हैं । कभी कभी अंगरेजी के उद्धरण को देना पड़ता है । मैं खुद अंगरेजी बोल सकता हूं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं मातृभाषा में बोलता हूं इसलिए कि मैंने यही बात हिन्दुस्तान के नेताओं से सीखी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): *If you speak in Hindi, I cannot understand.*

श्री कल्पनाथ राय : तो मैं कह रहा था कि राष्ट्र का घोषित लक्ष्य क्या है ? जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता के द्वारा सरकार । वह है जनतांत्रिक समाजवाद । पूंजीवाद और साम्यवाद की गुदगुदी गोदी से हट कर हम ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें समता के द्वारा सम्पन्नता हो । समता के द्वारा सम्पन्नता को ढूंढने और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू और देश की महान् नेता श्रीमती गांधी ने देश को आगे ले जाने की कोशिश की । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज क्या है ? आज अपने पब्लिक सर्विस कमीशनों के द्वारा हम जिस ब्योरोक्रेसी का निर्माण कर रहे हैं वह हमारे देश की प्लान्ड इकोनामी में क्या हमारे सोशल आब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिये सक्षम है ? मेरा कहना है कि जब तक हिन्दुस्तान में पांच प्रकार के स्कूल, पांच प्रकार की किताबें, पांच प्रकार के अध्यापक रहेंगे तब तक हिन्दुस्तान में एक स्वस्थ नौकरशाही का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं । श्रीमन्, हमारे देश में पांच प्रकार के स्कूल हैं । रामानन्द यादव और कल्पनाथ जैसे किसानों जो देश में 80 प्रतिशत हैं, के बच्चे एक प्रकार के गांवों के स्कूलों में पढ़ते हैं । मैं खुद गांव के स्कूल में पढ़ा हूं हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत लोगों के लिये गांव के स्कूल है और उनके लिये एक अलग प्रकार के अध्यापक हैं । उनके लिये अलग प्रकार की किताबें हैं । गांव का लड़का अपने लिये टाट लेकर जाता है और वहां अपने टाट पर बैठता है और उस को वहां के अध्यापक पढ़ाते है । फिर नगर पालिका और टाउन एरिया की बात आती है । म्युनिसिपैलिटी के स्कूल अलग प्रकार के हैं, उनकी किताबें अलग हैं । वहां के टीचर अलग, वहां के पढ़ाने की व्यवस्था अलग । तो छोटे छोटे शहरों मे क्लर्क रहते हैं । उनके लड़कों के लिये पढ़ने की व्यवस्था अलग है । उसके बाद के स्कूलों में एस पी के और मंत्रियों के लड़के, नौकरशाही के और बड़ लोगों के लड़के पढ़ते हैं । इन स्कूलों को कंवेंट स्कूल कहते हैं । उनमें 500 रुपया प्रति लड़का खर्च पड़ता है । उन की किताबें अलग हैं । वहां के अध्यापक अलग हैं । वहां के स्कूल अलग हैं । तो इस प्रकार मे कंवेंट स्कूलों के पढ़ाने की व्यवस्था ही अलग प्रकार की है जिनमें देश के कलेक्टरों, एस० पीज या जजों

[श्री कल्प राय राय]

के या बड़े अफसरों के या बड़े व्यापारियों के लड़के पढ़ते हैं। इसके बाद एक दून कालेज है। देहरादून में और ऊटी आदि स्थानों में ऐसे कालेज हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाये गये थे। उनमें इससे भी बड़े स्तर के लोगों के लड़के पढ़ते हैं। जहां हजारों रुपया महीना खर्च एक लड़के पर आता है। तो इस तरह एक तरफ तो गांव में टाट और पटरी और बोरा लेकर जाने वाले हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता के बेटे हैं जिनको पेड़ के नीचे टाट पर बैठना पड़ता है या छप्पर के नीचे बैठना होता है जो एक प्रकार की किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों में लड़के पढ़ते हैं जहां उन पर हजारों रुपया महीना खर्च होता है। तो अपने आदरणीय रामानन्द यादव जी और अपने महादेव वर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के पांच प्रकार के स्कूल, पांच प्रकार की किताबें और इन पांच प्रकार के अध्यापकों के रहते हुए क्या इस हिन्दुस्तान में एक आदर्श नौकरशाही का निर्माण कर सकते हैं जिसके माध्यम से एक नये हिन्दुस्तान का, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के सपनों के हिन्दुस्तान का निर्माण हम करना चाहते हैं। क्या हम गांधी जी के सपनों को सामने रख कर नये हिन्दुस्तान का निर्माण कर सकते हैं जिसमें आने वाले भारत की संतानें सुखी हो सकेंगी? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह की बात कही थी कि हम ऐसे स्कूलों को तोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तो और, हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो एजुकेशन को कांकरेट लिस्ट में लिया था (*Interruptions*) उसे भी परिवर्तित करने की कोशिश की गई। आज श्री मोरारजी देसाई और श्री चरणसिंह की सरकार ने उस एजुकेशन को कांकरेट लिस्ट से हटा कर स्टेट सब्जेक्ट बनाने का प्रपोजल कांग्रेस संसदीय दल के पास भेजा है। व्हाट इज कांकरेट लिस्ट। प्रो० राम कृपाल जी एक पढ़े लिखे उस दल में दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एजूकेशन को कांकरेट लिस्ट में रखने का क्या मतलब है? मतलब है कि त्रिवेन्द्रम में या दिल्ली में या काकीनाडा में, बम्बई में या गुजरात में, सभी जगह एक प्रकार की किताबें होंगी, एक प्रकार के स्कूल होंगे, एक प्रकार का स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन होगा, सेंट्रल स्कूल जैसी कोई स्कीम होगी सारे देश में, तभी जाकर हमारे देश में समतामूलक शिक्षा व्यवस्था होगी और देश की एकता को मेन्टेन करने का प्रयास किया जा सकेगा। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि मद्रास के, बंगाल के, महाराष्ट्र के और बम्बई के ही 80 प्रतिशत लड़के आई०ए०एस० की कंपिटिशन में आते हैं। अभी दिल्ली के स्कूल के 39 लड़के आई०ए०एस० में इस साल पास हुए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक लड़का पास हुआ है। पूरे बिहार के 3 लड़के, पूरे उत्तर प्रदेश के 3 लड़के पास हुए और दिल्ली के एक स्कूल से 39 लड़के आई० ए० एस० में पास हुए। यह पिछड़े या अगले का सवाल नहीं है। यह सवाल है पूरे देश की शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने का। जब तक हम देश की बुनियादी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करेंगे, देश की प्रगति नहीं होगी। हमारे देश में विभिन्न शिक्षा आयोग बनाये गये, उन विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिश पर पिछली कांग्रेस सरकार ने शिक्षा को कांकरेट लिस्ट में रखा जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में एकता के पैमाने पर एक एजूकेशन पैटर्न कायम किया गया जिसके माध्यम से ज्यादा नहीं थोड़ी समता हम प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण समता तो तब प्राप्त कर सकते है जब देश में से पांच प्रकार के स्कूलों को समाप्त करने का एक पोलिटिकल बिल बना कर सरकार कदम उठाये और एक बड़ी गहरी और मजबूत क्रान्तिकारी सरकार ही इस कार्य को कर सकती है। इस कार्य को करने के लिए भी तो हमने आधा कदम

उठाया कि हम देश में शिक्षा को एक लाइन पर खड़ा करेंगे तो उस समता-मूलक ऐजूकेशन को कांकरेट लिस्ट में रखने का विरोध यह जनता सरकार कर रही है और इन्होंने शिक्षा को स्टेट सब्जेक्ट में रखने के लिए संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस दल को भेजा है और उसे स्टेट सब्जेक्ट रखने की मांग की है ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो तीसरी बुनियादी बात है वह इतिहास की बात है । आज हम हिन्दुस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानों की लडाई हुई । मगर हिन्दुस्तान के इतिहास को अंग्रेजों ने इस ढंग से लिखवाया कि उसको पढ़ने के बाद इस देश का हर हिन्दू मुसलमान अगला-पिछला पढ़ने के बाद यह सोचने लगता है कि यहां हिन्दू मुसलमानों का संघर्ष था मगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान मे संघर्ष हिन्दू मुसलमान का नहीं था। यहां तो संघर्ष देसी और परदेसी का था । मुहम्मद तुगलक का बाबर की सेनाओं से संघर्ष हुआ तो लड़ाई देसी और परदेसी की हुई । जब बाबर की सल्तनतों पर नादिरशाह ने हमला किया तो फिर देसी और परदेसी का संघर्ष हुआ । फिर विदेशी शासक जीत गये तो फिर वे देशी हो गये । फिर 1857 में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम लड़ाई तात्या टोपे से हुई और टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के अन्दर जो लड़ाई हुई—उसने लिखा है कि पिछली बार दोनों ने, हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया । 1757 से 1852 तक दिल्ली के बहादुरशाह जफ़र के समय दोनों हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया। जब 1857 में हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया तो वह थोड़े रह गये । 1857 के बाद हिन्दुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने मुसलमानों का दमन शुरू किया और 1905 ईसवी तक हिन्दू मुसलमान एक रहे । 1905 के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली । अंग्रेजों ने हिन्दू युनिवर्सिटी की नींव डलवाई और इसी तरह से हिन्दुस्तान में 1905 से पहले तक हिन्दू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ । 1905 के बाद अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने हिन्दुस्तान के इतिहास को ऐसे लिखवाया जिसमे हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमानो में हमेशा संघर्ष रहा हो, देसी और परदेसी के बीच संघर्ष नहीं रहा हो । हिन्दुस्तान का इतिहास ऐसा लिखा गया जिससे यह जाहिर कि हिन्दुस्तान में जो संघर्ष हुआ वह देसी और परदेसी के बीच नहीं, बल्कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच रहा । यहां हिन्दू मुसलमानों के बीच संघर्ष नहीं था । यह संघर्ष देसी और परदेसी के बीच था । उन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया । उसके बाद अंग्रेज बिल्कुल डर गये । उपसभाध्यक्ष महोदय, साम्राज्यवादियों ने इतिहास को गलत लिखवा कर केवल हिन्दुस्तान का ही बटवारा नहीं करवाया केवल जर्मन का ही बटवारा नहीं कराया केवल मलयशिया का बटवारा नहीं कराया, वियतनाम का ही बटवारा नहीं कराया कोरिया का बटवारा नहीं कराया बल्कि एशिया के सभी मुल्कों को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट दिया । इतिहास को गलत दृष्टि से जनता के सामने रख कर, पिछड़े हुए मुल्कों के सामने इतिहास को गलत दृष्टि से रख कर हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी । हमें इस देश को बनाना है । अब हमें इतिहास को बदल कर नये ढंग से इतिहास को लिख कर देश के बच्चों को पढ़ाना चाहिये ।

दूसरा मेरा कहना यह है कि पांच प्रकार, की स्कूलों को समाप्त करके एक प्रकार के स्कूल एक प्रकार की किताबों, एक प्रकार के अध्यापकों केवल पर नये देश का निर्माण करना चाहिये ।

तीसरा, मेरा कहना यह है कि शिक्षा को जो कन्करन्ट लिस्ट में रखा गया है उसको कायम रखना है ।

[श्री कल्पनाथ राय]

चौथी बात यह है कि जो हमने अपना राष्ट्रीय उद्देश्य घोषित किया है डेमोक्रेटिक और सोशिलिज्म का, यानी जनता के लिये, जनता का और जनता के द्वारा सरकार, इसको पूरा करना चाहिये । जिस दिन हमारे नौकरशाही में जनता के लिये, जनता के द्वारा और जनता की सरकार, डेमोक्रेसी की हुकूमत, लोकशाही की हुकूमत और समाजवाद की हुकूमत की बात आ जायगी उस दिन इस देश की 100 प्रतिशत जनता इक्वाल्व होगी । उसमे अगले लोग भी होंगे और पिछड़े लोग भी होंगे, हरिजन भी होंगे, शूद्र भी होंगे, मुसलमान भी होंगे और हरिजनो के बाद ज्यादा बदतर हिन्दुस्तान की 30 करोड़ औरतें होंगी जो कि हरिजनो से भी ज्यादा बदतर जिन्दगी जी रही है । हमें गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी और इन्दिरा जी के सपनों के अनुकूल डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मे आमूलचल परिवर्तन करना है । जब नई नौकरशाही का निर्माण होगा तभी नये देश का निर्माण कर सकेंगे इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू ।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो चीज है बड़े महत्व की चीज है । पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कम्पोजीशन है, जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री यादव और महादेव वर्मा जी ने कहा वह वाकई काबिले गौर है । क्योंकि जब तक इस देश में जातियां मौजूद हैं जिससे हर आदमी इन्कार नहीं कर सकता । एक अधिवेशन मनाया गया कि जाति सब खत्म कर दी जाए । यह केवल कहने की बात है । मैंने तो यह कहा कि अब तो केवल जाति खोलो संघ बनाने की जरूरत पड़ेगी । जब तक लोग अपनी जाति बता नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा । सब चीजें जाति के आधार पर चलती है---चाहे नौकरी हो या इलेक्शन हो । हर जगह आप देखेंगे कि जाति के आधार पर सब काम होता है । मैं इस चीज को उदाहरण देकर बताना चाहता हूं । मैं बैकवर्ड क्लास कमीशन का मेम्बर था । उस वक्त हम लोगों के चेयरमैन काका कालेलकर साहब थे । उन्होंने कहा कि हमको नेहरू साहब से मिलना चाहिए भी और उनकी राय ले लेनी चाहिए । चूंकि हमने सब चीफ मिनिस्टर्स की राय ले ली है इसलिए हम लोगों ने उनसे ही मिलने का विचार किया । जब हम उनसे मिलने गए तो नेहरू साहब ने पहला ही सवाल किया कि चेयरमैन साहब

"What are you people doing?"

चेयरमैन साहब ने कहा कि

"We have finalised the report, but on Government services, there are differences because some people say that 60 per cent reservation should be given to these backward classes and the Scheduled Castes and some say 30 per cent." I was the man who was telling 60 per cent.

मैंने उस समय डिसेंट बहुत लम्बा-चौड़ा लिखा । नेहरू साहब बहुत नाराज होकर बोले

"What is this nonsense? Do you think that I will make this country a third-class country? It is going to be a first-class country in the world. I am not going to take incompetent persons Don't you see that this reservation is playing havoc in the South? Where lot of Brahmins of the South are rotting in West Bengal for services.

यह उन्होंने डांटकर कहा । नतीजा यह हुआ कि उस वक्त जितने मेम्बर थे सिवा मेरे सभी कांग्रेसी थे ।

I was the only non-Congress man.

सब कांग्रेसमैन, एम० पी० तथा मिनिस्टर थे वे सब चुप थे, खामोश हो गए थे । वे थोड़ा देर तक खामोश रहे । चूंकि मैं इन मेम्बरों से

हमेशा कहा करता था कि ज्यादातर लोग कांग्रेसी आ गए हैं, इसलिए कमीशन के अन्दर काका साहब जो भी कहते हैं उस पर आप कुछ भी नहीं बोलते पर मैंने सोचा कि बाहर आने पर मुझ से भी यह कहेंगे कि जब नेहरू जी ने डांट दिया था तो आप खामोश हो गए थे। इस बात से थोड़ा प्रेरित होकर मैंने कहा :—

"Panditji, I beg to differ from what you are saying."

पंडित जी इस बात को कहां सुन सकते थे। उन्होंने कहा :-

"What is it that you want to differ from".

और मुझे बड़े जोरों से डांटा। लेकिन मैं फिर भी बोल पड़ा :-

"Panditji, I refrain from talking to a man who has lost his balance of mind." He said; "No, I have not lost." I said; "certainly you have lost. Your face shows that you have lost, your demeanour shows that you have lost, and that you are not in right, what is it that you want to say?" I told him, "Panditji have you cooled down?" He said. 'think that I have cooled down."

मैं भी जब थोड़ा सा तेज हो गया तो आप जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नेहरू जी जहां गुस्से से डांटते थे वहां जब कोई आदमी ठीक बात कहता था तो उसको सुनते भी थे। उन्होंने अपनी कुर्सी को थोड़ा मोड़ करके कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो ?

I told him; "can you permit me to put two questions to you?" He said; "Yes." I first asked him; "Panditji, Panditji, do you not want that in days of democracy also every section of people of this country must have its due share in the administration of the country?"

नेहरू जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, चुनांचे उन्होंने कहा :-

"No, I do not deny it." Then I told him, Panditji the second question that arises is that these Scheduled Caste people were being given reservations since 1925. I told him that I have given in my minute of dissent all the circulars of the British Government by which they had given these Scheduled Caste people some sort of reservations and some sort of help. So, I have narrated all that. I told him in 1955 that thirty years had elapsed and his own Scheduled Caste Commissioner, who was then Shrikantbhai, a brahmin, had himself said in his report that in these 30 years not even 2.8 per cent of these reservations have been implemented. I said: Panditji, you are horrified to hear, about 60 per cent reservations but Scheduled Castes reservations are not being implemented. He has further observed in that report that if a sympathetic attitude had been taken by the appointing authorities then so many thousands of people, who are registered on the registers of employment exchanges, should have got gainful employment. I said, that is not the only thing. I asked him whether he was aware of the fact that Dhebarbai, who was the Chief Minister of Saurashtra, had to pass a resolution in his State that henceforth all services must go to the Scheduled Castes till their quota was fulfilled. I told him, Panditji this is the state of casteism in India and I am compelled to say that there is not a single man, including yourself and myself, who has not the caste consideration. We may vary in degrees, you may be having 5 per cent and I may be having ten per cent and somebody else may be having three per cent, I told him. But everybody in this country is caste-ridden. Then he had to agree. He said—he used to call me Mr. Singh —yes, I quite agree with you because if a Brahmin comes, he tries to push in all Brahmins and if a Kayastha comes, he tries to push in all Kayasthas. He said that he was alive to this fact. Then he was a little cooled down. The time was up and he said that he was sorry because he had to leave and go to the Parliament House.

[श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया

I had also to say, "I am also sorry Panditji because I am going to give a minute of dissent." I said: I wish that I could discuss certain matters before putting them in black and white and he told me that I may take another appointment and so on. However, I could not get another appointment and I had to write a long dissent and I have given it.

इस सिलसिले मे मै कहना यह चाहता था कि आज हमारे देश में यह हालत हो गई है कि कोई भी आदमी प्रान्तीयता से, जातीयता मे और लैंग्वेज से ऊपर नही उठ पाया है। हर आदमी के अन्दर ये चीजें घर कर गई है। तो ऐसी हालत मे क्या होना चाहिए। जैसा कि अभी श्री यादव जी ने कहा कि जितने कमीशन आपने बनाए हैं उनमे दिखाने के लिए आप मुसलमानों को भी लेते है। मगर आप देखें कि यह सब क्या है? तो इस लिए जब तक यहा प्रपोंशनल रिप्रजन्टेशन नही होगा, तब तक यह देश चल नहीं सकेगा। मैं आपको यह एलान कर देना चाहता हूं कि विवेकानन्द जी की भविष्यवाणी सही सिद्ध होने वाली है। मैंने इन्दिरा जी को भी कहा था। मैं बहुत आउट-स्पोकन आदमी हूं। मुझे माफ करेंगे। इन्दिरा जी को मैंने कहा था कि अपने लड़के को जेल भेजिए। दो महीने पहले लिख भेजा था। ऐसा पागल कौन आदमी होगा? मैंने उस वक्त भी लिखा था, जब वह मुकद्दमा हारी थी : "You must resign to keep prestige of judiciary which is very important in democracy. मै भी जेल जाता। मुझे टिकट दिया गया था बिरला को हराने के लिए। आप देखे, हिस्ट्री मे यह कही नहीं होगा कि किसी आदमी को बिना मांगे टिकट मिल गया हो। मुझे टिकट दिया गया था बिरला को जिताने के लिए। यह मेरा सौभाग्य था कि मेरे मे बिरला जैसा कैपिटलिस्ट हार गया। शायद गरीबों को दुहाई मेरे साथ थी। मै नही जानता कि मैं कैसे जीत गया। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस देश में और जैसा कि मैंने इन्दिरा जी को लिखा था, रिवोल्यूशन आना है शूद्रों का, जिसमें कायस्थ भी शामिल है।

एक माननीय सदस्य : यह आप गलत कह रहे है।

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : बिल्कुल सही कह रहा हू। कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आप नहीं समझेंगे (*Interruption*).

देखिए विवेकानन्द ने कहा है मै नही कह रहा हू।

विवेकानन्द जी ने कहा है :–

Socialism is coming on the Board and Sudras, as Sudras, shall be the future ruling caste. Therefore, these caste Hindus should try to raise them up so that they may feel obliged to them; otherwise when they are awakened, and awaken they must, then by a puff of their mouth, they will blow you off.

फूक से तुम्हें उड़ा देंगे।

This is what is going to happen. Can you ignore 80 per cent of the masses? You can befool some persons for some time; you cannot befool all persons for all time. This is the saying which many people have said.

इसलिये अब वह समय आने वाला है : इसे हम सबको समझना चाहिए। उनको प्रपोर्सनल रिप्रजन्टेशन मिलना चाहिए।

Everybody, every community, every section of people must have its due share in the administration of the country. How can we have that? Now we are going to fight for that in spite of anything. That is why I resigned even from the Congress Party. I am

very out-spoken. I do not care whether it is against the Janata Party or it is against the Government. But I must say what is the fact or what the truth is. This is what I want to beseach of my friends.

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चौरसिया जी बहुत विद्वान् व्यक्ति हैं और उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं विद रिफ्रेन्स कि इस बारे में उनका सामाजिक विश्लेषण क्या है? डा० अम्बेडकर और डा० लोहिया जैसे लोगों ने भी कभी कायस्थों को शूद्र नहीं माना। आपकी इस बारे में क्या ओपीनियन है? मेरी डेफिनिशन बैकवर्ड क्लास की यह है, which I have written in my book. "All the so-called Sudras excepting Kayasthas in the North and Commas and Reddis in the South are all backward and change of religion is no change of social status; hence, no change of backwardness. This is what I have written. That is why some of the Kayasthas are saying very much against me."

कि हमको भी शूद्र लिख दिया।

And this is a fact. You cannot deny the fact.

SHRI K. B. ASTHANA: My theory is that we do not belong to any of these four castes.

SHRI SHIVDAYAL SINGH CHAURASIA: This is the chief sign that you belong to sudras. Those who belong to sudras are not able to say in which class they should be.

SHRI SHYAM LAL YADAV (Uttar Pradesh): What about neo-Buddhists?

SHRI SHIVDAYAL SINGH CHAURASIA: Hindus include Buddhists, Jains and everybody. How can you ignore them? (*Interruptions*).

इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आखिर में होम मिनिस्टर साहब से यही प्रार्थना है कि (*Interruptions*) इस किताब में मैंने पढ़ा कि हाई कोर्ट के जज का स्टेटस दिया जाए. . . सब अपनी बातें कहते है मगर असलियत क्या है। पहले चार वर्ण थे : ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र; अब हो गए चार फिर वर्ण : शैडयूल्ड कास्ट, शैडूल्ड ट्राइब्ज, बैकवर्ड क्लास और कास्ट हिन्दूस। देखिए कितनी चालाकी की। कास्ट हिन्दूस को जो तीन में बंटे थे ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य में वे तो कास्ट हिन्दुस बनकर एक हो गए। और ये जो शूद्र कहलाते थे वे जनाब तीन में बांट दिए गए : शैडूल्ड कास्ट, शैडूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लास (*Interruptions*) मुसलमान भी बैकवर्ड क्लास मे आते है लेकिन यह तो रिलिजस डिवीजन है।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट (*Interruptions*) चौरसिया जी औरतों के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है?

श्री शिव दयाल सिंह चौरसिया : देखिए, सुन लीजिए। मैंने कहा था इन्दिरा जी से मैं आपके यहां नही रहता। मगर सिर्फ इसलिए ही कि आप स्त्री हैं और शूद्रों का इस देश में हनन हुआ है और स्त्री होने के नाते मुझे आशा है आप भी शूद्र क्लास में गिनी गई है। इसलिए तो कहा गया है शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसलिए जनाब शूद्र भी वही है। आप 85–90% को कब तक गुलाम बनाए रखेगे।

MASSAGE FROM THE LOK SABHA

The Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Bill, 1977

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha,